पी. एण्ड एस. बैंक

राजभाषा अंकुर

दिसंबर 2021

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
राजभाषा विभाग

कार्यकारी निदेशक महोदय का आगमन

डॉ. रामजस यादव ने दिनांक 21.10.2021 को बैंक में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। उन्होंने अंचल कार्यालय मुंबई की अधीनस्थ शाखा "अंधेरी मुंबई" में कार्यभार ग्रहण किया। छायाचित्र में कार्यकारी निदेशक डॉ. रामजस यादव का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते हुए आँचलिक प्रबंधक मुंबई श्री संजय पी श्रीवास्तव, शाखा प्रबंधक अंधेरी मुंबई व अन्य अधिकारीगण।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग की हिंदी पत्रिका

राजभाषा अंकुर

(केवल आंतरिक वितरण हेतु)

बैंक हाउस, प्रथम तल, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008

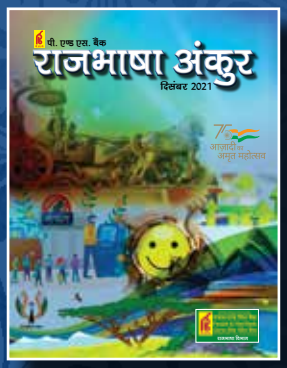

दिसंबर 2021

मुख्य संरक्षक
श्री एस. कृष्णन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संरक्षक
श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र
कार्यकारी निदेशक

डॉ. रामजस यादव
कार्यकारी निदेशक

मुख्य संपादक
श्री कामेश सेठी
महाप्रबंधक सह मुख्य राजभाषा अधिकारी

संपादक एवं प्रकाशक
श्री निखिल शर्मा
वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)

संपादक मंडल
श्री देवेन्द्र कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)
श्रीमती मोनिका गुप्ता, प्रबंधक (राजभाषा)
श्री मोहन लाल, राजभाषा अधिकारी

ई-मेल : hindipatrika@psb.co.in
पंजीकरण सं.: एफ.2(25) प्रैस. 91
(पत्रिका प्रकाशन तिथि : 15/01/2022)

'राजभाषा अंकुर' में प्रकाशित सामग्री में दिए गए विचार, संबंधित लेखकों के अपने हैं। पंजाब एण्ड सिंध बैंक का प्रकाशित विचारों से सहमत होना ज़रूरी नहीं है। सामग्री की मौलिकता एवं कॉपी राइट अधिकारों के प्रति भी लेखक स्वयं उत्तरदायी है।

मुद्रक : जैना ऑफसेट प्रिंटर्स
ए 33/2, साइट–4, साहिबाबाद इंडस्ट्रीयल एरिया,
गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश
फोन नं. : 98112 69844
ई-मेल: jainaoffsetprinters@gmail.com

विषय सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	संपादक मंडल/विषय-सूची	1
2.	आपकी कलम से	2
3.	संपादकीय	3
4.	संचार : अवरोध व निवारण	4-7
5.	आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाएं	8-9
6.	प्रधान कार्यालय में प्रकाश पर्व का आयोजन	10-11
7.	हिंदी अनुवाद के संदर्भ में लोकोक्ति और मुहावरों की भूमिका	12-14
8.	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक	14
9.	आत्मनिर्भर भारत और बैंक	15-17
10	ग्राहक के मुख से	18
11.	प्रसन्नता और मनोरंजन	19-21
12.	दिल्ली बैंक नराकास में बैंक की उपलब्धियाँ	22
13.	गृह मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय द्वारा पुरस्कार	23
14.	नराकास उपलब्धियां	24-25
15.	सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह – 2021	26-27
16.	कहानी-नीली आह!	28-29
17.	काव्य -मंजूषा	30-31
18.	बैंकिंग व्यवसाय व तृतीय पक्ष उत्पाद	32-33
19.	मूल तमिल लेख और उसका हिंदी रूपांतरण	34-37
20.	हिंदी कार्यशालाएं/राजभाषा संगोष्ठी	38-39
21.	कुरूक्षेत्र – अनुपम पर्यटन स्थल	40-42
22.	जरा सोचिए!	43
23.	अंचल कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह -2021	44

आपकी कलम से

राजभाषा अंकुर का नवीनतम सितम्बर 2021 का 'आजादी का अमृत महोत्सव' अंक हस्तगत हुआ। आवरण, साज–सज्जा तथा पठन समग्रियों का गुणवत्तापूर्ण चयन व संयोजन अति मनमोहक है। लेखन, प्रस्तुति एवं संकलन की मानकता "शिवा को बखानौं कि बखानौं छत्रसाल को" की मनःस्थिति में पाठकों को ला खड़ा करता है।

'ग्राहक के मुख से' के माध्यम से पत्रिका का ग्राहकों की रचनात्मकता तक पहुँचने का सार्थक प्रयास सराहनीय है। विभिन्न कार्यक्रमों के जीवन्त छायांकन सहज ही हमें उस कार्यक्रम का हिस्सा बना देता है। क्षेत्रीय भाषा के रूप में समृद्ध बांग्ला का 'मूल बांग्ला लेख' पत्रिका की सभी भाषाओं के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री निशिथ प्रामाणिक के कर कमलों से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार ग्रहण करना हमारे बैंक के लिए गरिमामय उपलब्धि है। पत्रिका में 'एहसास' की संवेदनापूर्ण शिक्षा, "मैं समय बोल रहा हूँ" से समय की महत्ता का बोध, 'हम हिन्दुस्तानी' से सामाजिक सौहाद्र तथा 'काव्य मंजूषा' में 'मन' का रेखाचित्र स्वयं से वार्तालाप का जरिया बनता है।

संक्षेपतः राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने तथा बैंकिंग व्यवसाय में हिंदी के प्रचार – प्रसार तथा इसके उन्मुक्त प्रयोग में इस पत्रिका का योगदान काफी महत्वपूर्ण है जो हिंदी के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इस प्रकार के समसामयिक प्रकाशन के लिए राजभाषा विभाग को अशेष शुभकामनाएँ !

–डॉ. ललित कुमार शर्मा, आंचलिक प्रबंधक – कोलकाता

आपके बैंक की तिमाही हिंदी पत्रिका "राजभाषा अंकुर" का नवीनतम अंक प्राप्त कर प्रसन्नता हुई। सर्वप्रथम पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं स्वीकार करें।

पत्रिका में राजभाषा हिंदी तथा साहित्य गतिविधियों से संबंधित आलेखों को बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। पत्रिका में प्रकाशित आलेख "खेल–खेल में हिंदी", "बैंक की लाभप्रदता में भाषा", "वैश्विक तापन और ग्रीन हाउस प्रभाव" आदि काफी सूचनाप्रद है। पत्रिका में प्रकाशित अन्य आलेख एवं कविताएं भी रोचक एवं पठनीय है।

पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए पूरी संपादकीय टीम को हार्दिक बधाई एवं आगामी अंकों के लिए शुभकामनाएं।

(संजय सिंह), प्रमुख–राजभाषा संसदीय समिति, प्रधान कार्यालय बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक की हिंदी पत्रिका "राजभाषा अंकुर" का सितंबर, 2021 अंक प्राप्त हुआ। हमारे बैंक को मिले राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से अपार हर्ष की अनुभूति हुई। राजभाषा विभाग द्वारा अन्य विभागों की रचनाओं को सम्मिलित करना एक सराहनीय कदम है और हमें विश्वास है कि राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में बैंक और भी उन्नति करेगा।

पत्रिका बेहद ही रुचिकर एवं ज्ञावर्धक है तथा मूल बांग्ला लेख एवं उसके अनुवाद के होने से पत्रिका अपनी विविधताओं को भी समेटे हुए है।

–सतबिर सिंह, आंचलिक प्रबंधक– पटियाला

हमें बैंक की तिमाही हिंदी पत्रिका पी. एण्ड एस. बैंक राजभाषा अंकुर का नवीनतम अंक प्राप्त हुआ। हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि बैंक को वर्ष 2019–20 के दौरान राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए इस वर्ष भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा 'कीर्ति पुरस्कार (द्वितीय)' प्राप्त हुआ है, इसके लिए बहुत–बहुत बधाई।

पत्रिका के नवीनतम अंक में 'हम हिंदुस्तानी', 'वैश्विक तापन और ग्रीन हाउस प्रभाव', 'खेल–खेल में हिंदी', 'बैंकों की लाभप्रदता में हिंदी', 'मैं समय बोल रहा हूँ' आदि विभिन्न विषयों पर छपे लेख बहुत ही रोचक है। ऐसे बेहद ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक, आलेखों तथा छायाचित्रों से निश्चित ही उत्साहवर्धन हुआ है। पत्रिका में प्रकाशित कहानी–एहसास, कविता– हिंदी में ही काम करें, बांग्ला लेख– हाइली सस्पीशियस, ज़रा सोचिए आदि के लिए सभी लेखकों को साधुवाद।

इस उत्कृष्ट पत्रिका की साज–सज्जा एवं विषय–वस्तु के चयन के लिए संपादक मंडल को हार्दिक बधाई एवं नववर्ष की शुभकामनाएं।

–हरजिंदर सिंह, आँचलिक प्रबंधक – गुरुग्राम

संपादकीय

प्रिय साथियो,

'राजभाषा अंकुर' का दिसंबर–2021 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है। राजभाषा अंकुर के विगत सितंबर–2021 अंक के लिए आप लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई जिसमें आप लोगों ने पत्रिका के प्रकाशन लिए अपनी शुभकामनाएं दी है, सर्वप्रथम इसके लिए आभार। पाठकों की प्रतिक्रिया ही संपादक मंडल को आगे कार्य करते रहने के लिए उनका उत्साहवर्धन करती है।

अत्यंत हर्ष का विषय है कि हाल ही में बैंक के प्रधान कार्यालय को दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के लिए तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके साथ ही आपकी पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' को गृह–पत्रिका की श्रेणी में दिल्ली बैंक नराकास से प्रोत्साहन पुरस्कार मिला है जिसके लिए न केवल बैंक का प्रधान कार्यालय वरन् बैंक का प्रत्येक कार्यालय बधाई का पात्र है। आप सभी के स्नेहपूर्वक दिए गए सहयोग से पत्रिका का कलेवर मनोहर होता जा रहा है।

पत्रिका के इस अंक में आत्मनिर्भर भारत, भाषा और संवाद से संबंधित लेखों को स्थान दिया गया है। साथ ही प्रधान कार्यालय में गुरू नानक देव जी के जन्मोत्सव पर आयोजित कीर्तन–गायन तथा लंगर से संबंधित छायाचित्रों को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत मूल तमिल लेख और उसका हिंदी अनुवाद पत्रिका में लिया गया है। राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में दिल्ली बैंक नराकास में बैंक की उपलब्धि और अन्य अंचल कार्यालयों की उपलब्धियों को पत्रिका में स्थान दिया गया है। 'काव्य–मंजूषा' के अंतर्गत कविताएं तथा विशेष स्तंभ 'ज़रा सोचिए', पत्रिका के इस अंक में सुशोभित हैं। जब तक पत्रिका आपको प्राप्त होगी, नववर्ष – 2022 का आगमन हो चुका होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि नववर्ष के साथ आपका जीवन निरंतर समृद्धि की ओर अग्रसर हो। आशा है पत्रिका का यह अंक आपको पसंद आएगा। पत्रिका के विषय में हमें अपने विचारों व सुझावों से अवश्य अवगत कराएं ताकि पत्रिका को अपेक्षाकृत उत्कृष्ट बनाया जा सके।

लोहड़ी, मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल तथा गणतंत्र दिवस–2022 की असीम शुभकामनाओं सहित!

(कामेश सेठी)
महाप्रबंधक सह
मुख्य राजभाषा अधिकारी

निखिल शर्मा

संचार : अवरोध व निवारण

किसी भी प्रकार के संचार के सफल होने के लिए यह आवश्यक है कि प्राप्तकर्ता संदेश के लिए वही अर्थ बताए जो संदेश भेजने वाले का इरादा है लेकिन संचार के सभी कार्य पूर्ण या सफल नहीं होते हैं। कभी–कभी कुछ अर्थ खो जाता है क्योंकि संदेश, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच के मार्ग के साथ–साथ विभिन्न बाधाओं का सामना करता है। संचार की प्रक्रिया के दौरान संदेश के गुजरने के किसी भी चरण में ऐसी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसे गलत संचार भी कहा जाता है। संचार को विफलता की ओर ले जाने वाली कुछ सामान्य समस्याएं हैं: भाषा, सांस्कृतिक अंतर, विषय वस्तु की जटिलता, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, अर्थ संबंधी समस्याएं, सामाजिक–मनोवैज्ञानिक बाधाएं इत्यादि। संचार की बाधाओं को संचार प्रक्रिया के उस चरण के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है जिसके दौरान समस्याएँ उत्पन्न होती हैं:

- प्रेषक–उन्मुख
- प्राप्तकर्ता–उन्मुख
- माध्यम–उन्मुख

हम संचार को एक मनो–अर्थपूर्ण प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसलिए, संचार की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाली बाधाएं ज्यादातर सामाजिक–मनोवैज्ञानिक–भाषाई प्रकृति की हैं। ये कारक संचार की प्रक्रिया के किसी भी या सभी तत्वों, अर्थात् प्रेषक या प्राप्तकर्ता या माध्यम पर कार्य कर सकते हैं और प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों के लिए सामान्य बाधा संदर्भ के एक सामान्य फ्रेम की अनुपस्थिति हो सकती है जो अक्सर एक विशिष्ट स्थिति में संचार को टूटने की ओर ले जाती है। संचार में निम्न बाधाएं होती है–

अर्थपूर्ण/भाषा बाधाएं

शब्दार्थ शब्दों के अर्थ का व्यवस्थित अध्ययन है। इस प्रकार, शब्दार्थ बाधाएं भाषा से संबंधित बाधाएं हैं। ऐसी बाधाएं ऐसी समस्याएं हैं

जो संदेश को क्रमशः शब्दों और विचारों में संकेतीकरण और/या व्याख्या करने की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होती हैं। मौखिक और लिखित दोनों संचार शब्दों/प्रतीकों पर आधारित होते हैं जो अस्पष्ट प्रकृति के होते हैं। शब्दों/चिन्हों का प्रयोग कई प्रकार से किया जा सकता है और इनके कई अर्थ भी हो सकते हैं। जब तक प्राप्तकर्ता संदर्भ को नहीं जानता, तब तक वह अपनी समझ के स्तर के अनुसार शब्द/प्रतीक की व्याख्या करता है और इस प्रकार संदेश की गलत व्याख्या हो सकती है।

शब्दों की गलत व्याख्या अर्थ संबंधी समस्याएं अक्सर प्रेषक द्वारा इच्छित अर्थ और प्राप्तकर्ता द्वारा समझी गई अर्थ के बीच अंतर के कारण उत्पन्न होती हैं। ऐसा तब होता है जब प्राप्तकर्ता शब्द/प्रतीक को वही अर्थ नहीं देता जैसा प्रेषक ने चाहा था। शब्द अपने उपयोग के आधार पर विभिन्न अर्थों को व्यक्त करने में सक्षम हैं, अर्थात जिस संदर्भ में उनका उपयोग किया जाता है। शब्द/

प्रतीक और उसे दिए गए अर्थ के बीच संबंध मनमानी प्रकृति का है। उदाहरण के लिए, शब्द 'पीला' जब विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसके उपयोग के आधार पर कई अर्थ हो सकते हैं। शब्दों के अर्थ के दो स्तर होते हैं – शाब्दिक (वर्णनात्मक) और रूपक (गुणात्मक)। 'पीला', प्राथमिक रंग होने के अलावा, 'ताजगी', 'सौंदर्य', 'बीमारी', 'क्षय' आदि के लिए भी प्रयोग होता है। इसलिए, प्राप्तकर्ता अपनी कल्पना और अनुभव के आधार पर इनमें से किसी भी तरीके से इसकी व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र है लेकिन संचार के परिपूर्ण होने के लिए यह आवश्यक है कि वह उसका वही अर्थ बताए जो संदेश को कूटबद्ध करते समय प्रेषक के दिमाग में था। इसलिए, संदेशों की गलत व्याख्या की संभावना हमेशा बनी रहती है। अधिकतर, ऐसी समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब प्रेषक सरल और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करता है जो प्राप्तकर्ता को सटीक अर्थ बता सकते हैं।

अस्पष्टता तब उत्पन्न होती है जब संदेश भेजने वाला और प्राप्त करने वाला एक ही शब्द के अलग–अलग अर्थ बताता है या एक ही अर्थ को व्यक्त करने के लिए अलग–अलग शब्दों का उपयोग करता है। कभी–कभी, गलत और विकृत धारणाएं भी अस्पष्टता का कारण बनती हैं। प्रेषक अक्सर यह मानता है कि उसके दर्शक स्थिति को वैसा ही समझेंगे जैसा वह करता है या किसी मुद्दे के बारे में वही राय रखता है या संदेश को समझता है जैसा वह समझाना चाहता है। ऐसी सभी धारणाएं गलत हो सकती हैं और संचार विफलता का कारण बन सकती हैं।

भावनात्मक या अवधारणात्मक बाधाएं

भावनात्मक या अवधारणात्मक बाधाएं व्यक्तिगत बाधाओं से निकटता से जुड़ी हुई हैं। व्यक्तिगत बाधाएं उद्देश्यों और दृष्टिकोणों से उत्पन्न होती हैं जबकि भावनात्मक या अवधारणात्मक बाधाओं में एक अतिरिक्त आयाम होता है जिसमें भावनाएं भी शामिल होती हैं। यदि प्राप्तकर्ता खुले दिमाग से जानकारी का मूल्यांकन नहीं करता है, अर्थात वस्तुनिष्ठ रूप से, उसका निर्णय/मूल्यांकन उसके पूर्वाग्रहों और/या उसकी भावनाओं से रंगा होगा, इस प्रकार उसे संदेश में बहुत अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यह सूचना के सटीक हस्तांतरण में हस्तक्षेप करेगा और गलत व्याख्या का कारण बनेगा। संदेश को कूटबद्ध करते समय भी ऐसी बाधा उत्पन्न हो सकती है। प्रेषक की ओर से अति–उत्साह उसे अपने संदेश को अर्थ के साथ निवेश करने के लिए प्रेरित कर सकता है जिसका वास्तव में उसका इरादा नहीं हो सकता है। इसके अलावा, संचार करते समय प्रेषक या प्राप्तकर्ता की ओर से बहुत अधिक आक्रामकता या निष्क्रियता भी संचार की सफलता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसके अलावा, बहुत अधिक भावनाएँ तर्क को विफल कर देती हैं और कभी–कभी, संचारक, अपनी भावनाओं से अंधा होकर, आवेगी निर्णय या अतार्किक निर्णय लेता है। इससे संचार व्यवस्था भी ठप हो जाती है।

अकर्मण्यता, उदासीनता या विलंब करने की प्रवृत्ति, या तो प्रेषक या प्राप्तकर्ता की ओर से, महत्वपूर्ण जानकारी को रोके रखने की ओर ले जाती है और इस प्रकार एक अवरोध पैदा करती है। उत्साह, उत्तेजना, क्रोध, तनाव, अवसाद आदि जैसी चरम भावनाएं भी प्रभावी संचार के रास्ते में आ जाती हैं। ये सभी कारक प्रेषक और/या प्राप्तकर्ता के मन में पूर्वाग्रह पैदा कर सकते हैं। इसलिए प्रेषक और प्राप्तकर्ता संदेश को क्रमशः अपनी धारणाओं, पृष्ठभूमि, जरूरतों, अनुभव आदि के अनुसार संकेतीकरण और व्याख्या कर सकते हैं और इससे विचारों और प्रतिक्रिया का एक अलग प्रकार का आदान–प्रदान भी होता है। वे वास्तविकता को भ्रमित करते हैं और देखते हैं कि वे क्या देखना चाहते हैं। यह भी एक तरह की निस्पंदन है जो संचार प्रक्रिया के दौरान होती है।

सामाजिक–मनोवैज्ञानिक बाधाएं

सामाजिक–मनोवैज्ञानिक बाधाओं को व्यक्तिगत बाधाओं की शाखाओं में से एक के रूप में भी माना जा सकता है जो कि बोधगम्य बाधाओं के समान है। हमें इसे व्यक्तिगत बाधाओं की एक उपश्रेणी के रूप में माना जाता है क्योंकि एक व्यक्ति का दृष्टिकोण न केवल उसकी प्रवृत्ति और भावनाओं से, बल्कि उसके प्रति उसके दृष्टिकोण और उसके आसपास के लोगों के साथ उसकी बातचीत से भी बनता है और इसलिए उसके बीच इस बारीक अंतर की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत, अवधारणात्मक और सामाजिक–मनोवैज्ञानिक बाधाएं। आरंभ करने के लिए, किसी संगठन में किसी की स्थिति की चेतना का संचार के दो–तरफा प्रवाह पर प्रभाव पड़ता है।

इसके अलावा, संचार स्थिति में, संचारकों को वास्तविकता के दो पहलुओं से निपटना पड़ता है– एक जैसा वे इसे देखते हैं और दूसरा जैसा वे इसे समझते हैं। मन व्यक्तिगत धारणा के अनुसार संदेश को निस्पंदन करता है अर्थात शब्द/प्रतीक/संकेत और उनके लिए विशेषताएँ। प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशिष्ट निस्पंदन होता है, जो उसके अनुभवों, भावनात्मक श्रृंगार, ज्ञान और मानसिकता से बनता है जिसे उसने समय के साथ हासिल किया है। धारणाओं में इस अंतर के कारण, अलग–अलग व्यक्ति स्थिति की अपनी समझ के आधार पर एक ही शब्द/प्रतीक/चिह्न का जवाब देते हैं और अपने अद्वितीय निस्पंदन के आधार पर इसका अर्थ बताते हैं। कई

बार उसकी धारणा में अंतर के कारण संदेश में संचार अंतर यानी विकृति हो जाती है। आमने–सामने संचार में, इस अंतर को आसानी से समाप्त किया जा सकता है क्योंकि तत्काल प्रतिक्रिया होती है लेकिन लिखित संचार में, इच्छित अर्थ और व्याख्या किए गए अर्थ के बीच शब्दार्थ अंतर अज्ञात रहता है क्योंकि प्रतिक्रिया में देरी होती है या कभी–कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है।

इसके अलावा, गहरे पूर्वाग्रहों वाले व्यक्ति के साथ संवाद करना बहुत मुश्किल होता है। वह चर्चा या नए विचारों, सूचनाओं, दृष्टिकोणों और विचारों के प्रति उत्तरदायी नहीं है। उसके पास एक बंद दिमाग है और वह विरोधी प्रतिक्रिया करता है, इस प्रकार संचार की सभी संभावनाओं को खारिज कर देता है। इसलिए, एक अग्रहणशील मन संचार में एक बड़ी बाधा हो सकता है। इस बाधा को दूर करने के लिए लोगों को नए विचारों के प्रति ग्रहणशील होना चाहिए और खुले दिमाग से, ध्यान से सुनना, सीखना चाहिए। इसके अलावा, कभी–कभी श्रोता शायद बहुत अधिक विस्मय में हो या वक्ता पर पूरी तरह से अविश्वास कर सकता है। इन दोनों स्थितियों में संचार के सफल होने की संभावना बहुत कम होती है। इसके अलावा, सूचना अधिभार खराब अवधारण की ओर ले जाता है और सूचना हानि का कारण बनता है। इसलिए, जब भी कोई महत्वपूर्ण सूचना संप्रेषित की जानी हो, संचारकों को संचार के लिखित माध्यम का उपयोग करना चाहिए। हम इस प्रकार निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सामाजिक–मनोवैज्ञानिक कारकों का संचार की प्रभावशीलता पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

संचार के लिए बाधाओं को कैसे दूर करें

ऊपर लिखित विभिन्न प्रकार की संचार बाधाओं के आधार पर अब हम कुछ ऐसी रणनीतियों की गणना करें जो इन बाधाओं को दूर करने और संचार में सुधार करने में हमारी मदद करेंगी। चूंकि एक व्यावसायिक संगठन की सफलता के लिए प्रभावी संचार आवश्यक है, इसलिए संचारकों को संचार के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए यथासंभव सर्वोत्तम सीमा तक ध्यान रखना चाहिए।

संदेश के प्रेषक और प्राप्तकर्ता के लिए कुछ सामान्य दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं:

संदेश भेजने वाले के लिए: सबसे पहले प्रेषक को अपने संदेश के उद्देश्य और उन महत्वपूर्ण विषयों को प्रकट करना चाहिए जिनसे वह निपटेगा। ऐसा करके, वह प्राप्तकर्ता को तैयार करता है कि उसे क्या अनुसरण करना है। यह प्राप्तकर्ता को संदेश के मुख्य बिंदुओं

की पहचान करने, संदेश में शामिल महत्वपूर्ण विचारों के बीच की कड़ी को पहचानने और उन्हें अपने दिमाग में एक सार्थक संरचना में व्यवस्थित करने में मदद करता है। संदेश संक्षिप्त होना चाहिए और प्रेषक को केवल उन मुख्य विचारों या सूचनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें वह संप्रेषित करना चाहता है। इसी तरह, प्रेषक को अपने विचारों को एक उपयुक्त संदर्भ में स्थापित करना चाहिए ताकि उनका मूल्यांकन और व्याख्या उस सामान्य संदर्भ के भीतर कर सकें जिसे प्रेषक ने संकेत या सुझाव दिया है।

संचार करते समय, प्रेषक को सूचियों, चार्ट, ग्राफ, चित्रण, बॉडी लैंग्वेज, टोन, पिच इत्यादि की सहायता से संदेश के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हर समय जोर देना चाहिए। उसे अंत में उसकी प्रस्तुति या लेखन का एक सारांश भी प्रदान करना चाहिए। यह प्राप्तकर्ता को संदेश के समग्र अर्थ को समझने में मदद करेगा, इस प्रकार समग्र ढांचे के संबंध में विभिन्न भागों, यानी विचारों को समझना आसान हो जाएगा। प्रेषक को विचारों/सूचनाओं को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि वह दर्शकों के दृश्य और/या श्रवण इंद्रियों को आकर्षित कर सके। लिखित संचार में, लेखक पाठकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आकर्षक ख़ाका का उपयोग कर सकता है। मौखिक रूप से संचार करते समय, प्रेषक को अपने चेहरे के भाव, हावभाव और दर्शकों के साथ आंखों के संपर्क पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

संदेश के प्राप्तकर्ता के लिए: संचार प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में,

जिम्मेदारी पूरी तरह से संदेश भेजने वाले पर होती है लेकिन बाद के चरण में, प्राप्तकर्ता एक सक्रिय भूमिका निभाता है जब वह अपने दिमाग में जानकारी को अवशोषित और संसाधित करना शुरू कर देता है। इस प्रकार, संदेश का प्राप्तकर्ता भी संचार के सफल समापन में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सभी बाधाएं प्रेषक–उन्मुख नहीं हैं। प्राप्तकर्ता की ओर से उत्पन्न होने वाली बाधाओं को प्राप्तकर्ता–उन्मुख बाधाओं के रूप में जाना जाता है। प्राप्तकर्ता की ओर से सबसे महत्वपूर्ण बाधा गलत अवधारण है। जब संप्रेषित किया जा रहा संदेश जटिल प्रकृति का होता है, तो वह उस संदर्भ का स्तर खो सकता है जिसमें प्रेषक ने संचार शुरू किया है। इस बाधा को दूर करने के लिए, प्राप्तकर्ता को महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करने की आदत विकसित करनी चाहिए। यदि प्राप्तकर्ता को संदेश पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है या यदि वह चर्चा किए जा रहे विषय में रुचि नहीं रखता है तो इसका भी प्रभावी ढंग से सुनने की उसकी क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए, प्राप्तकर्ता को अपने दिमाग को सभी प्रकार की सूचनाओं को अवशोषित करने और आत्मसात करने के लिए आदी बनाना चाहिए, जोकि कुछ भी बताया जा रहा है, उसमें रुचि पैदा करने और उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सचेत प्रयास करें। जब प्राप्तकर्ता संदेश के बारे में बहुत अधिक निर्णय लेता है या प्रेषक की वितरण की शैली की बहुत आलोचना करता है तो यह एक बाधा पैदा करता है क्योंकि प्राप्तकर्ता पूरी तरह से याद करता है कि प्रेषक वास्तव में क्या संवाद करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार, प्राप्तकर्ता को निर्णय लेने से बचना चाहिए और संदेश के सटीक संदर्भ से अवगत हुए बिना उसका मूल्यांकन करने की जल्दी में नहीं होना चाहिए जिसमें यह व्यक्त किया गया है।

संदेश की व्याख्या करते समय पूर्वाग्रह प्राप्तकर्ता के दिमाग में बाधा भी पैदा कर सकता है। यदि प्राप्तकर्ता उदासीन है या प्रेषक के बारे में कोई अनुमान है या वह क्या बताने की कोशिश कर रहा है, तो उसके पूर्वाग्रह मानसिक अवरोध पैदा करेंगे और संदेश की सामग्री का निष्पक्ष और विवेकपूर्ण मूल्यांकन करने की उसकी क्षमता में हस्तक्षेप करेंगे। इससे संदेश की गलत व्याख्या होगी और संचार विफल हो जाएगा। इस प्रकार, प्राप्तकर्ता को खुले दिमाग से नए विचारों/सूचनाओं को लेना चाहिए और अपने पूर्वाग्रहों को अपनी धारणा और तर्क क्षमता को प्रभावित नहीं करने देना चाहिए। गहरे पूर्वाग्रह और कठोर मानसिकता वाले लोग नए विचारों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। इस तरह की अनम्यता सुनने में बाधा डालती है और गलत संचार की ओर ले जाती है। इसलिए, इस तरह के मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत बाधाओं को दूर करने के लिए प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों को नए विचारों के प्रति ग्रहणशील होना चाहिए।

संक्षेप में, संचार में अधिकांश बाधाओं को दूर किया जा सकता है यदि प्रेषक अपने संदेश को स्पष्ट और सटीक तरीके से व्याख्या करता है, गलत व्याख्या या गलत संचार के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है और उचित और समय पर प्रतिक्रिया देता है। जब संचारक बाधाओं को पार करने में सक्षम होते हैं और बिना किसी चूक, निस्पंदन या विरूपण के अपने विचारों/राय/सूचनाओं का आदान–प्रदान करने में सफल होते हैं, तो माना जाएगा कि संचार ने अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है।

प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग

आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं

विकास सिंह

आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि आपके पास जो स्वयं का हुनर, कौशल या संसाधन हैं उसके माध्यम से एक छोटे स्तर पर खुद को आगे की ओर बढ़ाना है या फिर बड़े स्तर पर अपने देश के लिए कुछ करना। हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बनकर अपने तथा अपने परिवार के साथ–साथ देश के उत्थान में भी पूर्ण सहयोग कर सकता है। भारत प्राचीन काल से ही संसाधनों से परिपूर्ण देश रहा है। पूरे विश्व में केवल भारत ही ऐसा देश है जहाँ सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधन पाए जाते है जिनकी सहायता से किसी अन्य देश पर आश्रित रहे बिना जीवन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक की वस्तुएं संसाधित की जा सकती है और आत्मनिर्भर बनने के सपने को पूरा किया जा सकता है। भारत आज एक युवा राष्ट्र है जिसकी लगभग 65 प्रतिशत आबादी का हिस्सा 35 साल से कम आयु वर्ग के हैं। किसी अन्य राष्ट्र को मानव संसाधन का इतना बड़ा लाभ प्राप्त नहीं है। युवाओं को अपनी भाषा में सही शिक्षा, ज्ञान और कौशल प्रदान करके हम इस विशाल मानव संसाधन का समुचित उपयोग कर सकते हैं जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण और सार्थक प्रयास होगा।

भारत की सभी भाषाएं समृद्ध हैं। उनका अपना साहित्य, शब्दावली, अभिव्यक्ति एवं मुहावरे हैं। इन सभी भाषाओं से भारतीयता की एक आतंरिक शक्ति भी है। भले ही हमारी भाषाएं अलग–अलग हों, इन्हें बोलने वाले लोग देश के अलग–अलग भागों में रहते हों, पर ये सभी भाषाएं भावनात्मक रूप से हमारी साझी धरोहर हैं जो हमारी राष्ट्रीय एकता को और मजबूत करती है तथा देश की उन्नति में समायोजित तथा समूहिक योगदान प्रदान करती है। देश के अलग–अलग प्रदेशों और क्षेत्रों से प्रवाहित होती हुई ये भाषाएं, उपभाषाएं व बोलियां राष्ट्रीय स्तर पर आकर हिंदी का सानिध्य प्राप्त करती हैं।

हिंदी, संस्कृत और संस्कृति की बेटी है। हिंदी में भाव, अर्थ, विन्यास और विकास के साथ–साथ हर बोली और भाषा को खुद में समाहित करने की क्षमता है। जिस अंग्रेजी भाषा को आज महत्व दिया जाता है दरअसल, अंग्रेजी का एक भी अक्षर बिना हिंदी के सहयोग के उच्चारित भी नहीं हो सकता। ए से लेकर जेड तक सभी अक्षरों को बोलकर देंखे तो आप समझ जाएंगे कि हिंदी का अंश मात्र है अँग्रेजी भाषा। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी ने अनेक बोलियों और भाषाओं को जन्म दिया, अनेक बोलियों और भाषाओं को खुद में समाहित किया। तभी तो संपूर्ण भारतीय संस्कृति भारत माता की तरह ही हिंदी का भी सम्मान करती है। हिंदी वृहद और सहृदय बोली है। इस में सागर–सी विशालता है। हिंदी भाषा में केवल

व्यापार और व्यवहार नहीं, अपितु विश्वगुरु बनने की हर योग्यता है। हिंदी के अलावा भी भारत देश की कई अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो हिंदी जितनी ही पुरानी और समृद्ध हैं। हिंदी सर्व–सुलभ और सहज ग्रहणीय भाषा है, अधिकांश जनता की भाषा है, इसका स्वरूप समावेशी है और इसकी लिपि देवनागरी, विश्व की सबसे पुरानी एवं वैज्ञानिक लिपियों में से है, इसका शब्द भंडार एक तरफ संस्कृत से तो दूसरी तरफ अन्य अनेक देशी–विदेशी भाषाओं के शब्दों से समृद्ध हुआ है यानि इसके शब्द भंडार में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों का समावेश है। इस प्रकार हिंदी आधुनिक भी है और पुरातन भी है। हिंदी के ये ही गुण इसे मात्र एक भाषा के दर्जे से ऊपर एक संस्कृति होने का सम्मान दिलाते हैं। हिंदी भाषा की ये सारी खूबियां इसे अपने आप मे स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाती है।

भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ, देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए भाषा का अत्याधिक महत्व है। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं तभी प्रभावी बन सकेंगी जब आम जनता उनसे लाभान्वित होगी। इसके लिए आवश्यक है कि शासन का काम–काज आम जनता की भाषा में किया जाए। राजभाषा हिंदी तथा प्रांतीय भाषाओं के माध्यम से देश की जनता की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सभी प्रकार की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सकता है। अतः भारत को आत्मनिर्भर बनाने में हिंदी तथा प्रांतीय भाषा एक सीढ़ी के रूप में सहयोग प्रदान कर सकती है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश निरंतर प्रगतिशील रहे और अधिक मजबूत बने, आत्मनिर्भर बने तो हमें संघ के काम–काज में हिंदी का तथा राज्यों के कामकाज में उनकी प्रांतीय भाषाओं का प्रयोग करना होगा। हिंदी को केवल मनोरंजन एवं साहित्य तक सीमित न रखा जाए अपितु शिक्षा, ज्ञान–विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी एवं वाणिज्य में भी इसका अधिकाधिक उपयोग होना चाहिए। हिंदी का विस्तार शिक्षा, ज्ञान–विज्ञान, सूचना–प्रौद्योगिकी एवं वाणिज्य में अधिकाधिक होने से युवा पीढ़ी को विकास के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को लोगों की रोजी–रोटी से जोड़ा जाए यानि अपनी भाषाओं के अध्ययन से लोगों को रोजगार के अधिक अवसर मिलने चाहिए।

भारत की विकास गाथा में एक वैश्विक भाषा के रूप में हिंदी का महत्व सर्वविदित है। पर्यटन, विज्ञान, वाणिज्य, व्यापार और मीडिया जैसे हर क्षेत्र में हिंदी का महत्व बढ़ रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आई वर्तमान क्रांति, विशाल बाजारों की उपलब्धता, व्यापारिक अवरोधों की समाप्ति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आदि से वैश्वीकरण में और भी तीव्रता आई है। भूमंडलीकरण और आर्थिक उदारीकरण के मौजूदा दौर में हिंदी ने अपने महत्व, प्रासंगिकता और लोकप्रियता के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशेष पहचान बनाई है। हिंदी अपनी व्यापक पहुंच एवं लोकप्रियता तथा बाजार सम्मोहन क्षमता के चलते एक शक्तिशाली भाषा के रूप में स्थापित हो रही है। बड़ी–बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारत में अपना व्यवसाय कामयाब बनाने के लिए हिंदी का सहारा लेना व्यवसायिक मजबूरी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने व्यापारिक हितों के लिए वैश्विक हिंदी की संकल्पना कर रही हैं। मीडिया एवं विज्ञापनों से भी हिंदी का बाजारीकरण हो रहा है।

आज भारत दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की राह पर अग्रसर है। ऐसे मे सभी देशवासियों को अपने सपनों को साकार करने और देश के विकास में योगदान देने के लिए सही दिशा में अपने ज्ञान, कौशल और ऊर्जा को लगाना होगा। ऐसा हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के अधिकाधिक प्रयोग से ही संभव है क्योंकि कोई भी देश, विदेशी भाषा के बूते पर प्रगति नहीं कर सकता। हिंदी भाषा हमारी सबसे बड़ी, सबसे मजबूत, सबसे अधिक प्रभावशाली तथा अनमोल धरोहर है। हमें इस अनमोल धरोहर को आने वाली पीढ़ी को समृद्ध रूप में हस्तगत करना होगा। भारत प्राचीन काल से ही भाषा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर रहा है, बस जरूरत है हिंदी और प्रांतीय भाषाओं के अधिकाधिक प्रयोग की ताकि इन भाषाओं के गौरवशाली इतिहास का उपयोग देश को आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने मे किया जा सके। इस सबसे परे जब हमारे विचार–विमर्श, संवाद, शोध, चिंतन, मनन, अध्ययन हमारी अपनी भाषा में होगी तो हम स्वयमेव आत्मनिर्भर होंगे और परिणामस्वरूप हमसे जुड़ा हमारा परिवार, समाज तथा हमारा राष्ट्र आत्मनिर्भर हो सकेगा।

प्रधान कार्यालय योजना एवं विकास विभाग

बैंक के प्रधान कार्यालय में

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बैंक के प्रधान कार्यालय में सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरू नानक देव जी के जन्मोत्सव पर कीर्तन गायन तथा लंगर गया। उल्लेखनीय है कि बैंक में सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए प्रत्येक वर्ष गुरूपर्व का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है जिसमें

खुशियों को दामन में भरने पर वह थोड़ी सी लगती हैं लेकिन यदि उन्हें बांटा जाये तो वे और ज्यादा नजर आती हैं - अज्ञात

प्रकाश पर्व का आयोजन

का आयोजन किया गया। हैं। साथ ही बैंक के विभिन्न अंचल कार्यालयों में भी श्री गुरूनानक देव जी का जन्मोत्सव अत्यंत उत्साह से मनाया बैंक के उच्चाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहते हैं। प्रस्तुत है प्रधान कार्यालय में आयोजित प्रकाश उत्सव की झलकियाँ।

राहुल रंजन

हिंदी अनुवाद के संदर्भ में लोकोक्ति और मुहावरों की भूमिका

अनुवाद क्या है– किसी भाषा में कही या लिखी गई बात का किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन अनुवाद कहलाता है। यह अंग्रेजी शब्द 'Translation' का हिंदी पर्याय है, जिसका अर्थ होता है 'पार ले जाना'। संस्कृत के 'वद्' धातु में 'अनु' उपसर्ग जुड़ने से अनुवाद बना है, जिसका अर्थ है प्राप्त कथन को पुनः कहना। कई विद्वानों ने अनुवाद को प्रक्रिया और परिणाम मानते हुए परिभाषित किया है। संक्षेप में अनुवाद को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में माना जा सकता है, जिसमें एक भाषा (स्रोत भाषा) में उपलब्ध मूल पाठ का रूपांतरण दूसरी भाषा (लक्ष्य भाषा) में किया जाता है। अनुवाद की प्रक्रिया को मुख्य रूप से तीन चरणों में सम्पन्न प्रक्रिया माना जा सकता है। पहला चरण है– मूल पाठ का विषयवस्तु व भाषा के स्तर पर विश्लेषण। दूसरा चरण है– अर्थ ग्रहण करते हुए अंतरण। अंतिम चरण है– लक्ष्य भाषा में पुनर्रचना। अनुवाद के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे– शब्दानुवाद, भावानुवाद, छायानुवाद, सारानुवाद, व्याख्यानुवाद, आशु–अनुवाद आदि। अनुवाद का क्षेत्र काफी व्यापक है। कार्यालय, बैंकिंग, विधि, विज्ञान, शोध–अनुसंधान, जनसंचार, साहित्य व पत्रकारिता आदि सभी क्षेत्रों में अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। इसके माध्यम से दो भाषाओं के बीच की दूरी को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

हिंदी अनुवाद में लोकोक्तियों की भूमिका– लोकजीवन में चर्चित लोकोक्तियों को लोगों ने दीर्घकालिक अनुभवों के आधार पर संक्षिप्त सूत्रों में पिरोया है। इनमें किसी समाज और भाषा की लोक संस्कृति की झांकी देखने को मिलती है। जब किसी भाषा की लोकोक्ति का अनुवाद दूसरी भाषा में करना होता है तो दोनों भाषाओं (स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा) की संस्कृति में जमीन–आसमान का अंतर होने की वजह से दुविधा उत्पन्न होती है। अनुवादक को सबसे पहले मुहावरों और लोकोक्तियों के बीच के अंतर का भली–भांति ज्ञान होना चाहिए। जहां मुहावरा पूर्ण वाक्य न होकर वाक्यांश होता है, वहीं लोकोक्ति अंश न होकर वाक्य की तरह होती है, जो पूरे विचार की अभिव्यक्ति करती है। यदि अनुवादक को दोनों भाषाओं की लोक–संस्कृति का ज्ञान नहीं होगा तो वह अर्थ का अनर्थ प्रस्तुत कर सकता है। लोकोक्ति के अनुवाद में शब्दानुवाद पर जोर न देकर भावानुवाद पर जोर देना चाहिए ताकि समान भाव उत्पन्न करने वाली दूसरी भाषा की लोकोक्ति का प्रयोग अनुवाद के स्थान पर किया जा सके।

भारतीय लोकोक्तियां प्रायः कुटुम्ब–पद्धति तथा पाप–पुण्य के संबंध में समान विचार रखने के कारण भावों में समानता रखती हैं, अतः भारतीय भाषाओं की लोकोक्तियों का हिंदी अनुवाद उतना कठिन काम नहीं होता जितना कि विदेशी भाषाओं की लोकोक्तियों का अनुवाद। अनुवादक के पास लोकोक्तियों का कोश कई बार नहीं होता और अगर होता भी है तो वह बहुत सीमित होता है। अधिकतर लोकोक्तियों का अर्थ कोश में उपलब्ध नहीं होता। इससे अनुवाद की समस्या और भी जटिल हो जाती है। इससे निजात पाने के लिए अनुवादक को व्याख्यात्मक अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। इसमें वह लक्ष्य भाषा में लोकोक्ति का अर्थ व भाव आसानी से संप्रेषित कर पाता है। उदाहरण के लिए हिंदी कहावत "तवा हांडी को काली बताए" का अंग्रेजी अनुवाद कई तरह से किया जा सकता है:

1. The pan calls the pot black.
2. The kiln calls the oven burnt house.
3. The kettle calls the pot black.

कई बार दो भाषाओं की लोकोक्तियों में विचार समान होते हैं पर प्रभाव एक जैसा नहीं होता। उदाहरण के लिए "A little pot is soon hot" और "अधजल गगरी छलकत जाए" में विचार समान हैं, पर प्रभाव समान नहीं है। इस प्रकार अपने विवेक और ज्ञान से अनुवादक लोकोक्तियों के अनुवाद को प्रभावी और सरल बना सकते हैं। अनुवादक का यह प्रयास होना चाहिए लोकोक्ति का मूल अर्थ नष्ट न हो पाए और सन्निकट भाव के साथ व्यक्त भी हो जाए।

वाणी के बजाय कार्य से दिए गए उदाहरण कहीं ज्यादा प्रभावी होते हैं – अज्ञात

अर्थ और भाव को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता के अनुसार शब्दानुवाद, भावानुवाद या व्याख्यानुवाद की सहायता ली जानी चाहिए। लोकोक्तियों के अनुवाद में कुछ जोड़ने या घटाने की गुंजाइश कम ही रहती है फिर भी थोड़ी बहुत छूट ली जा सकती है। उदाहरण के लिए 'रामचरितमानस' के अंग्रेजी अनुवाद 'दि रामायण ऑफ तुलसीदास' में मुहावरों व लोकोक्तियों का अनुवाद निम्नलिखित तरीके से हुआ है–

1. **शब्दानुवादः**

मूल	:	"लिखित सुधाकर गा लिखि राहू। बिधिगति बाम सदा सब काहू।।"
अंग्रेजी अनुवाद	:	"When about to write moon, fate has written eclipse."

2. **भावानुवादः**

मूल	:	"को न कुसंगति पाई नसाई। रहइ न नीच मतें चतुराई।।"
अंग्रेजी अनुवाद	:	"Evil company always good plan will disrupt"

3. **व्याख्यानुवादः**

मूल	:	"जिमि कोउ करै गरुड़ सैं खेला। डरपावे गहि स्वल्प सपेला।।"
अंग्रेजी अनुवाद	:	As the someone Garur frightened but showing to him a mere snake.''

हिंदी अनुवाद में मुहावरों की भूमिका– मुहावरा वह वाक्यांश है जिसका अर्थ संरचना में निहित अर्थ से भिन्न होता है। इसका उद्देश्य दैनिक वार्तालाप को सहज बनाना होता है। मुहावरे भाषा की अपनी निजी संपत्ति होते हैं। प्रत्येक भाषा के मुहावरे भिन्न होते हैं। एक भाषा के मुहावरे का दूसरी भाषा में अनुवाद करना कठिन होता है। मुहावरे किसी भाषा की लोक संस्कृति और जीवन–अनुभवों का सार होते हैं। मुहावरों का अनुवाद एक विशिष्ट प्रक्रिया मान गया है। जहां एक ओर अनुवादक समतुल्य अर्थ देने वाले मुहावरों की खोज लक्ष्य भाषा में करता है, जैसे– हिंदी में 'नाच न जाने आंगन टेढ़ा' के लिए अंग्रेजी में वह समतुल्य मुहावरा खोजता है– 'Unskilled carpenter quarrels with his tools'। दूसरी ओर वह मुहावरे के अर्थ को या उसमें निहित मूल भाव को किसी भिन्न अभिव्यक्ति या वाक्य के द्वारा लक्ष्य भाषा में देने का प्रयास करता है, जिसे हम व्याख्यानुवाद भी कह सकते हैं। सजातीय भाषाओं में कहीं–कहीं कुछ समानार्थी मुहावरे भी उपलब्ध होते हैं या उसी आशय को प्रकट करने वाले दूसरे मुहावरे होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी मुहावरों और उनके समतुल्य अंग्रेजी मुहावरों को लिया जा सकता है–

मूल : मच जावेगी फिर अंधेर।
अर्थ : अव्यवस्था का फैल जाना।
अंग्रेजी अनुवाद : It will create anarchic frenzy

कई मुहावरे अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। संभवतः अंग्रेजी से इसका अनुवाद करते समय हिंदी में समतुल्य अर्थ देने वाले मुहावरों की अनुपस्थिति में इनका निर्माण किया गया होगा–

1. Fall or collapse like a house of card.
   ताश के महल की तरह ढह जाना।
2. Fool's paradise
   मूर्खों का स्वर्ग।
3. Put the cart before the horse.
   घोड़े के आगे गाड़ी रखना।

मुहावरों और लोकोक्तियों के अनुवाद के समय सावधानियां– अनुवाद एक जटिल भाषिक रूपांतरण की प्रक्रिया है जिसमें स्रोत भाषा के पाठ को लक्ष्यभाषा में अर्थ सहित भाषित अंतरण किया जाता है। स्रोतभाषा समुदाय की अनेक सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराएं लक्ष्य भाषा समुदाय में मौजूद नहीं होतीं, तब उन सांस्कृतिक परंपरा–बोधक शब्दों, मुहावरों और लोकोक्तियों के अनुवाद की समस्या जटिल हो जाती है। अनुवाद चाहे वह साहित्यिक पाठ का हो या साहित्येतर पाठ का हो, दोनों ही स्थितियों में प्रसंग के अनुसार मुहावरों और लोकोक्तियों के अनुवाद की आवश्यकता होती है। मुहावरों और लोकोक्तियों के अनुवाद के समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिएः

1. मुहावरों और लोकोक्तियों के बीच के अंतर को समझने में भ्रम की स्थिति में कई बार अनुवाद गलत हो जाता है। दोनों को समझने के लिए स्रोत भाषा की सांस्कृतिकता, ऐतिहासिकता, परिवेश, पौराणिकता आदि को समझना जरूरी है। दोनों का वाक्यों में प्रयोग भी भिन्न तरीके से होता है। अतः दोनों का एक ही परिप्रेक्ष्य में अनुवाद नहीं किया जा सकता।

2. मुहावरे और लोकोक्तियां प्रायः सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होती हैं। अतः एक भाषा में प्रयुक्त मुहावरों या लोकोक्तियों के समान अर्थ संप्रेषित करने वाली दूसरी भाषाओं में उपलब्ध कहावतों का प्रयोग अनुवाद के स्थान पर करना सबसे अच्छा माना जा सकता है। इससे मूल अर्थ के साथ

छेड़–छाड़ होते हुए भी भाव को सुरक्षित रखा जा सकता है।

3. यह जरूरी नहीं कि स्रोत भाषा की सभी कहावतों के समान अर्थ रखने वाली कहावतें लक्ष्य भाषा में भी मिल जाएं क्योंकि मुहावरे और लोकोक्तियां किसी भाषा समुदाय की निजी संपत्ति होते हैं। ऐसी स्थिति में व्याख्यानुवाद का सहारा लिया जाना चाहिए। ऐसी व्याख्यात्मक शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए जो मूल अर्थ के सर्वाधिक निकट हो।

4. यदि अंग्रेजी के किसी मुहावरे का हिंदी में शब्दानुवाद प्रचलित हो गया है तो उसका प्रयोग करना चाहिए।

5. शब्दानुवाद कई बार अर्थ का अनर्थ कर देता है। अतः ऐसी स्थिति में भावानुवाद का सहारा लेना चाहिए।

6. जहां तक संभव हो, मुहावरा व लोकोक्ति कोश का प्रयोग किया जा सकता है। सांस्कृतिक शब्दावलियों का अर्थ जानने के लिए भी अलग से कोश का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे अनुवाद में सुविधा हो। उदाहरण के लिए 'गोदान' का अंग्रेजी अनुवाद यदि 'Gift of cow' किया जाए, तो सांस्कृतिक संदर्भ में यह अटपटा लगेगा। यदि परंपरा को समझ कर शब्दावली बनायी जाए तो लोकोक्तियों व मुहावरों के अनुवाद को सरल बनाया जा सकता है।

अंचल कार्यालय, होशियारपुर

प्रधान कार्यालय स्तरीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक

दिसंबर–2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए प्रधान कार्यालय स्तरीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का आयोजन दिनांक 15.12.2021 को किया गया। बैठक में प्रधान कार्यालय के समस्त उच्चाधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में बैंक की तिमाही हिंदी गृह–पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' के सितंबर–2021 अंक का भी विमोचन किया गया। प्रथम छायाचित्र में बैठक की कार्यसूची पर विचार–विमर्श करते हुए कार्यकारी निदेशक महोदय तथा अन्य उच्चाधिकारीगण। दूसरे छायाचित्र में 'राजभाषा अंकुर' के सितंबर–2021 अंक के साथ बैंक के उच्चाधिकारीगण।

यशोधरा रंगारी

आत्मनिर्भर भारत और बैंक

आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए की थी। इस अभियान के द्वारा भारत में लोगों को कामकाज करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और यह प्रयत्न किया जाएगा कि अगले कुछ सालों में भारत अपनी जरूरत की अधिकतर वस्तुएं अपने देश में ही तैयार करें अर्थात् आत्मनिर्भर बन जाये। प्रधानमंत्री ने कोविड–19 महामारी से पहले तथा बाद की दुनिया के बारे में बात करते हुए कहा कि 21वीं सदी के भारत के सपने को साकार करने के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। वर्तमान वैश्विकरण के युग में आत्मनिर्भर की परिभाषा में बदलाव आया है। आत्मनिर्भरता, आत्म–केंद्रित से अलग है।

भारत "वसुधैव कुटुंबकम्" की संकल्पना में विश्वास करता है। चूँकि भारत दुनिया का ही एक हिस्सा, अतः भारत प्रगति करता है तो ऐसा करके वह दुनिया की प्रगति में भी योगदान देता है। बैंकों में कई योजनाएं आई ताकि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग दिया जा सके। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के इस दौर में सबसे बड़ी मार किसानों पर पड़ी है। इस हिसाब से आत्मनिर्भर भारत अभियन में तीन करोड़ किसानों को ₹4.22 लाख करोड़ का कृषि ऋण दिया गया। इसमें 3 महीने तक उन्हें लोन वापस करने की जरूरत नहीं थी। इसके साथ ही इंटरेस्ट सबवेंशन और तुरंत ऋण चुकाने के इंसेंटिव के रूप में मिलने वाली सुविधा का समय भी बढ़ा दिया गया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान में मोदी सरकार ने किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हाथ में अधिक पैसे पहुंचाने की कोशिश की है।

बैंक ने शहरी गरीब को आत्मनिर्भर बनाने में भी काफी सहयोग दिया है। अब तक आत्मनिर्भर भारत की 2 फेस प्रवर्तित हो चुकी है। अब सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की तीसरी फेस प्रवर्तित की गई है जिसको आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के नाम से जाना जाएगा। तीसरी फेस के अंतर्गत 12 नई योजनाएं आरंभ

की गई है। इसके अंतर्गत नौकरी से लेकर व्यवसाय तक सभी क्षेत्रों को कवर किया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभ हैः

- **अर्थव्यवस्थाः** जो वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी उछाल पर आधारित हो।
- **अवसंरचनाः** ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने।
- **प्रौद्योगिकी संचालित प्रणालीः** 21वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित प्रणाली।
- **वाइब्रेंट डेमोग्राफीः** जो आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्त्रोत है।
- **मांगः** भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए।

मिशन के चरण– मिशन दो चरणों में लागू किया जाएगाः

- प्रथम चरण– इसमें चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक,

खिलौने जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।

- द्वितीय चरण– इस चरण में रत्न एवं आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य

इस अभियान के तहत लोगों में जागरूकता आएगी और लाभार्थी को आर्थिक मदद दी जाएगी जिससे गरीब लोगों को किसी के आगे झुकना न पड़े। इस योजना का उद्देश्य है कि कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण जितने भी मजदूरों और किसानों को इस संकट काल में नुकसान हुआ है उनकी भरपाई की जाएगी और उन्हे लाभ पहुंचाया जाएगा। जो भी लाभार्थी इस योजना में आवेदन करेंगे केंद्र सरकार द्वारा उनके खाते में राशि पहुंचा दी जाएगी। अत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 का उद्देश्य की बात करें तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते देश में लॉकडाउन था। इस स्थिति में देश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। इस आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान का आरंभ किया गया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से अलग–अलग प्रकार की योजनाएं देश के नागरिकों के लिए आरंभ की गई थी जिससे कि देश की आर्थिक स्थिति सुधार सकें। आत्मनिर्भर भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना है जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था वापस पहले जैसी हो सके।

आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के भाग

इस योजना के तीन भाग हैं:

- पहले भाग में उत्तर पूर्वी क्षेत्र आता है जिसके लिए ₹200 करोड़ आबंटित किए गए हैं। असम को वहां की जनसंख्या तथा भौगौलिक क्षेत्र को देखते हुए ₹450 करोड़ आबंटित किए गए। दूसरे भाग में वह सभी राज्य आते हैं जो पहले भाग में नहीं आते हैं।

- दूसरे भाग के लिए सरकार द्वारा ₹7500 करोड़ की राशि आबंटित की गई। इस योजना के तीसरे भाग के अंतर्गत ₹2000 करोड़ आबंटित किए गए।

- तीसरे भाग की राशि केवल उन्हीं राज्यों को प्रदान की जाएगी जो सरकार द्वारा बताए गए चार सुधारों में से कम से कम तीन सुधार राज्यों में लागू करें। यह चार रिफॉर्मः वन राशन कार्ड, इज ऑफ डूइंग रिफॉर्म, अर्बन लोकल बॉडीज/यूटिलिटी रिफॉर्म तथा पावर सेक्टर रिफॉर्म है।

बैंकों में उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत इमरजेंसी क्रेटिट लाइन गारंटी स्कीम को लागू किया गया था जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा पाए। इस योजना के अंतर्गत कॉलेटरल फ्री लोन प्रदान किया गया। मनरेगा में आबंटन भी बढ़ा है जिसे बैंकों द्वारा ही लाभार्थियों तक पहुँचाया गया। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के इस दौर में प्रवासी मजदूर अपने घर वापस जा रहे थे। उन्हें उनके घर पर ही काम मिल सके इसके लिए सरकार ने मनरेगा के माध्यम से बड़ी पहल की है। 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग' के लिए क्रेडिट गारंटी भी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आता है।

क्रेडिट गारंटी– बैंकों द्वारा एमएसएमई को दिए जाने वाले अधिकतर ऋण एमएसएमई की परिसंपत्तियों के आधार पर दिया जाता है लेकिन किसी संकट के समय संपत्ति की कीमतों में गिरावट हो सकती है तथा इससे एमएसएमई की ऋण लेने की क्षमता बाधित हो सकती है। अर्थात् किसी संकट के समय परिसंपत्तियों की कीमतों में गिरावट होने से बैंक इन उद्यमों को ऋण देना कम कर देते हैं। सरकार द्वारा इस संबंध में बैंकों में बैंकों को क्रेडिट गारंटी दी जाती है कि यदि एमएसएमई उद्यम ऋण चुकाने में सक्षम नहीं होते हैं तो ऋण सरकार द्वारा चुकाया जाएगा। उदाहरणतया यदि सरकार द्वारा एक फर्म को ₹1 करोड़ तक के ऋण पर 100% क्रेडिट गारंटी दी जाती है तो इसका मतलब है कि बैंक उस फर्म को ₹1 करोड़ उधार दे सकता है। यदि फर्म वापस भुगतान करने में विफल रहती है, तो सरकार ₹1 करोड़ का भुगतान बैंकों को करेगी।

आत्मनिर्भर भारत अभियान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना संकट का सामना करने के लिए सरकार दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ योजनाओं का शुभारंभ कर रही है ताकि हमारा देश विकास की ओर बढ़े और विभिन्न वर्गों को साथ जोड़ा जाये और देश को विकास की गति मिल सके। आत्मनिर्भर भारत अभियान का महत्व इस बात से भी जाना जा सकता है कि इस अभियान के दौरान सरकार द्वारा काफी योजनाए लागू की गई ताकि समाज की छोटे से छोटे व्यापारी से लेकर अन्य वर्ग भी लाभान्वित हो सके। आत्मनिर्भर भारत के लिए आर्थिक प्रोत्साहन भी सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से दिया गया ताकि कोविड–19 के समय महामारी के दौरान सामान्य जन की मदद की जा सके। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत निर्माण की दिशा में विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज कोविड–19 महामारी की दिशा में सरकार द्वारा की गई पूर्व घोषणाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिए गए निर्णयों को मिलाकर

जैसे सूर्य आकाश में छिपकर नहीं विचर सकता उसी प्रकार महापुरूष भी संसार में गुप्त नहीं रह सकते – व्यास

पैकेज ₹20 लाख करोड़ का है जो भारत की सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 10% के बराबर है। पैकेज में भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार द्वारा पैकेज के तहत घोषित प्रत्यक्ष उपायों में सब्सिडी, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, वेतन का भुगतान आदि शामिल होते हैं जिसका लाभ वास्तविक लाभार्थी को सीधे प्राप्त होता है।

आत्मनिर्भर भारत-स्वतंत्र भारत का संकल्प

आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए, सरकार के आर्थिक पैकेज में भूमि, तरलता, मजदूर और कानून सभी पर जोर दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज उन श्रमिकों के लिए है जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए परिश्रम करते हैं। ये आर्थिक राहत हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है जो ईमानदारी के साथ काम करता है। इस योजना के अंतगर्त लघु कुटीर उद्योग, मजदूर, किसान आदि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और उन्हें आजीविका के लिए आय का साधन प्राप्त होगा।

बैंक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह लोगों की अर्थिक जरूरतों को पूरा करने और पहलों को कारगर बनाने की दिशा में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंक स्टेट बैंक ने योनो डिजिटल मंच पर किसान ई–स्टोर खोला है, जहाँ किसानों के लिए जरूरी कई उत्पाद ऑनलाइन एवं सस्ती दर पर उपलब्ध हैं। मंडी के अंतर्गत किसानों की गैर–बैंकिंग जरूरतों को पूरा किया जा रहा है तथा उन्हें बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है, जहाँ किसान बिना किसी बिचौलिये के लेन–देन कर रहे हैं। बैंक ने किसानों को अन्य फोरम भी उपलब्ध कराया है, जिसके तहत वे बीज, उर्वरक, कृषि उत्पाद आदि सस्ती दरों पर खरीद रहे हैं। इससे जुड़े किसान इनकी खरीददारी के लिए बैंक से ऋण भी ले सकते हैं। यह मंच रियल टाइम बेसिस पर किसानों को बाजार में चल रहे फसलों के भाव, फसल प्रबंधन, फसल बीमा, कृषि तकनीकी समस्याओं का समाधान, कोल्ड–स्टोरेज आदि की जानकारियां भी उपलब्ध करा रहा है। अन्य मंचों के जरिये किसान कृषि उपकरण खरीद रहे हैं। एग्रोस्टार भारत का पहला तकनीकी स्टार्टअप है जो कृषि से जुडी समस्याओं का समाधान पेश करता है। इस पर मिस्डकाल या ऐप के जरिये किसान अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इनके अलावा मौसम संबंधी जानकारियों को हासिल करने के लिए स्काइमेटवेदर मंच उपलब्ध है। बैंक छोटे और मझोले कारोबारियों को संपत्ति के एवज में ऋण, ग्रामीण क्षेत्र में पेट्रोल पंप डीलरों एवं अन्य डीलरों को ऋण, वेयरहाउस रिसीट पर ऋण अर्थात वेयरहाउस में रखे अनाज के बदले ऋण, दाल, चावल, चीनी, कपड़ा आदि मिलों के लिए ऋण, शिक्षा ऋण, दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वैयक्तिक ऋण, ग्रामीण क्षेत्र में क्लिनिक खोलने के लिए डॉक्टर प्लस ऋण, स्कूल या महाविद्यालय खोलने के लिए ऋण आदि भी मुहैया करा रहे हैं। ग्रामीण कॉर्पोरेट टाई–अप के जरिये अपनी फसलों या कृषि उत्पादों को सीधे कॉर्पोरेट को बेच रहे हैं, जिससे उन्हें स्थानीय मंडी जाने की जरूरत नहीं होती है। उन्हें बिचौलियों से भी छुटकारा मिल जाता है। इससे किसानों के दुलाई और भाड़े पर होने वाले खर्च बच रहे हैं। बैंक किसानों को जमीन खरीदने, एग्री किलीनिक खोलने, पॉली हाउस बनाने, कंबाइंड हार्वेस्टर खरीदने, पशुपालन, मछली पालन, मशरूम की खेती करने, कुक्कट पालन, सुअर पालन, हार्टीकल्चर, बकरी पालन, सेरीकल्चर, भेड़ पालन, मधुमक्खी पालन, ट्रैक्टर, पंपसेट व पाइपलाइन खरीदने आदि के लिए भी ऋण दे रहे हैं।

समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमे अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। 21वीं सदी, भारत की सदी बनाने का हमारा दायित्व, आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा। हमें अपना हौसला बुलंद रखना होगा, हम ये कर सकते है। हम आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। कोरोना काल में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हुए। इसके तहत तीन प्रकार के ऋण यथा शिशु, किशोर और तरुण दिये जाते हैं। किशोर योजना के तहत स्वरोजगार शुरू करने वाले व्यक्ति को पचास हजार रुपये से पाँच लाख रुपये तक ऋण दिया जाता है और तरुण योजना के तहत कारोबार शुरू करने के लिए पाँच लाख से दस लाख रुपये तक का ऋण जरूरतमंद को दिया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (सांख्यिकी मंत्रालय) के 2018 में जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, देश में करीब छह करोड़ लघु उद्योग हैं जिनमें 12 करोड़ से अधिक लोग कार्यरत हैं।

ग्रामीणों को बैंक से जोड़ने, महिलाओं का सशक्तीकरण करने, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण या सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों के खाते में डालने, डिजिटल लेन–देन को बढ़ावा देकर ग्रामीणों की पहुंच दुनिया के बाजार तक करने, बिचौलिये की भूमिका को खत्म करने आदि का काम भी शासन द्वारा किया जा रहा है। देश में लगभग ₹1.30 लाख से अधिक बैंक शाखाओं का नेटवर्क है। प्रधानमंत्री जन–धन योजना की मदद से लगभग 40 करोड़ लोग बैंक से जुड़ चुके हैं। इस वजह से बैंक ज्यादा किसानों और लघु, छोटे एवं मध्यम कारोबारियों को ऋण दे रहे हैं। बैंक, ग्रामीणों को वित्तीय रूप से साक्षर भी बना रहे हैं। बैंक देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आत्मनिर्भरता का भाव समाज में भी उत्पन्न होना चाहिए क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सरकार के साथ समाज के सभी वर्गों का सहयोग आवश्यक है।

अंचल कार्यालय भोपाल

ग्राहक के मुख से

रितु अग्रवाल

वर्तमान युग में बिना बैंकिंग के जीवन की कल्पना तक संभव नहीं है। बैंकिंग हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। वैसे तो बैंकिंग बहुत पुराने समय से ही हमारे जीवन में दस्तक दे चुकी थी किंतु इस समय में बैंकिंग क्षेत्र में कई नए आयाम स्थापित हो चुके हैं। बैंकिंग क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग इतना बढ़ चुका है कि लोगों को बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं है। एक वक्त था जब बैंक भी गिने–चुने थे और ग्राहक भी सीमित। उस दौर में लोग बैंक से भावनात्मक रूप से अपना जुड़ाव महसूस करते थे।

मेरा नाम रितु अग्रवाल है। मैं सन् 2005 से पंजाब एण्ड सिंध बैंक की शाखा पीलीभीत से जुड़ी हुई हूँ। सीसी लिमिट संबंधी खाते के माध्यम से पंजाब एण्ड सिंध बैंक से जुड़ने का सौभाग्य मिला। हमारी पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सहयोग से एक एग्रीबिजनेस संबंधी फर्म मेसर्स गोपाल राइस एण्ड जनरल इंडस्ट्रीज वर्तमान में संचालित है जो सन् 1975 में स्थापित की गई थी और आज तक सकुशल कार्यरत है। यह मेरा सौभाग्य है और पूर्वजों के आशीर्वाद व बैंक के सहयोग से कार्य सफल हो रहे हैं। पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा पीलीभीत के स्टाफ सदस्यों में बहुत ही अच्छा सामंजस्य है और सभी स्टाफ सदस्य बैंकिंग सेवा को ग्राहकों तक पहुंचाने और ग्राहकों को समानांतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के हरसंभव प्रयास में निरंतर जुटे रहते हैं, यह एक अच्छी बात है। किसी भी संस्था या संगठन के उन्नति और प्रगति का यही एक आधार है कि उसके स्टाफ सदस्य मिलजुल कर ग्राहक सेवा के लिए संभावित उद्यम करें जो हमें पंजाब एण्ड सिंध बैंक की शाखा पीलीभीत में देखने को मिलता है। शाखा में शाखा प्रबंधक व स्टाफ सदस्य चाहे वह तत्कालीन हो या वर्तमान सभी स्टाफ सदस्यों का व्यवहार बहुत ही अच्छा और बेहतर रहा है। एग्रीबिजनेस संबंधी मेरी अन्य कई फर्म भी कार्यरत हैं और बैंक के सहयोग से इन्हें कभी भी आर्थिक तनाव से नहीं गुजरना पड़ा है।

अभी हाल ही माह अक्टूबर–2021 में ग्राहक मिलन समारोह में पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अंचल प्रमुख श्री विजय कुमार निरंजन से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान उनसे चर्चा बहुत ही सकारात्मक रही। उनके मार्गदर्शन में अंचल का व्यवसाय नया आयाम स्थापित कर रहा है।

बैंक के स्टाफ सदस्यों के व्यवहार व उनकी ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने की कार्यशैली को देखते हुए मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि मेरे द्वारा अधिक से अधिक अन्य ग्राहक भी इस बैंक के साथ जुड़ें और बेहतर बैंकिंग सेवा का लाभ उठाएं। बैंक के लिए मेरा यह सुझाव है कि इंटरनेट बैंकिंग स्थिति को और तेजी से कार्य करने में सक्षम बनाएं जिससे ग्राहक सुविधा में सुगमता हो सके और ग्राहक आधार में भी वृद्धि हो सके। मैं, रितु अग्रवाल, पंजाब एण्ड सिंध बैंक को भविष्य में नित नए आयाम और नई ऊंचाईयाँ स्थापित करने के लिए शुभकामनाएं देती हूँ।

मेसर्स गोपाल राइस एण्ड जनरल इंडस्ट्रीज
– पीलीभीत

कुमंत्रणा से राजा का, कुसंगति से साधु का, अत्यधिक दुलार से पुत्र का और अविद्या से ब्राह्मण का नाश होता है – विदुर

सुनील सुथार

प्रसन्नता व मनोरंजन – मानव जीवन की महती आवश्यकता

धन, भूमि, घर, वस्त्र, भोजन इत्यादि की भाँति मनुष्य जीवन में और एक वस्तु है जिसकी आवश्यकता को अनदेखा नहीं किया जा सकता – वो है मनोरंजन। वर्तमान समय में, समय के अभाव में, मनुष्य जीवन मनोरंजन के अभाव में नीरस और शुष्क बनता जा रहा है। जीवन में नई स्फूर्ति, नये उत्साह और नई शक्ति के संचार के लिए कुछ न कुछ मनोरंजन नितांत आवश्यक हो गया है। इंसान का मन ही समस्त शक्तियों का केन्द्र है अतः उसके कुण्ठित और क्लाँत रहने के कारण उसकी शक्ति भी शिथिल हो जाती है। मात्र मनोरंजन ही एकमात्र जरिया है जिससे मन की कुण्ठा और क्लाँति दूर होती है व मनुष्य जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। दिन भर की व्यस्तता के पश्चात यदि शाम के वक्त थोड़ा–सा मनोरंजन हो जाए तो आने वाले दिन के लिए मन फिर ताजगी और स्फूर्ति से भर जाएगा और काम में पूरी रुचि बनी रहेगी। वर्तमान समय में अधिकतर लोग जीविका अर्जन हेतु एक जैसा ही कार्य निरंतर करते रहते हैं।

आजीविका अर्जन की इस निरंतर प्रक्रिया में मनुष्य के मन में उदासीनता के भाव पनपने लगते हैं जिससे कार्य की गति कम हो जाती है और मनुष्य की कार्य–दक्षता पर विपरीत प्रभाव पड़ने लग जाता है। इसी कारण हर तरह की नौकरी, विभागों व कारोबार में सप्ताहांत में एक या दो दिन की छुट्टी अनिवार्य की गई है। इस अवकाश का एकमात्र उद्देश्य यही है कि निरंतर 5 या 6 दिन काम की व्यस्तता से जो उदासीनता व नीरसता मन में पनपी है सब लोग अवकाश के दौरान ऑफिस व काम की व्यस्तता से दूर कुछ समय अपने लिए, अपने परिवार के साथ बिताएं और उनका कुछ मनोरंजन हो जिससे सप्ताह भर के लिए फिर से उनके अंदर नई सफूर्ति भर जाए। जीवन को तरोताजा, रुचिकर और प्रखर बनाए रखने के लिए मनोरंजन ही एकमात्र साधन है। मनोरंजन से मन को प्रसन्नता का अनुभव होता है और प्रसन्नता एक दैवीय वरदान साबित होता है। मनोरंजन से इंसान का जीवन स्वस्थ और निरोगी बनता है। जीवन

में विवेक की वृद्धि होती है और विवेक से उम्र बढ़ती है।

प्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिकों के मतानुसार इंसान को अपने जीवन में जब भी संभव हो हँसना और प्रसन्न रहना चाहिए, प्रसन्नता एक सर्वसुलभ, सुन्दर और सफल औषधि है जो जीवन के अनेक रोगों और विकारों को दूर कर देती है। जब भी कोई व्यक्ति हँसता, मुस्कुराता है तो उसके जीवन में वृद्धि होती रहती है। विश्व प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री डॉ. सेम्पसन ने अपना एक अनुभव बतलाते हुए एक स्थान पर लिखा है– "एक रोगी मेरे पास लाया गया। उसकी स्थिति चिंताजनक रूप से गम्भीर थी, उसके बचने की उम्मीद छोड़ी जा चुकी थी लेकिन मैं निराश न था। मेरे पास यह जानने का एक सफल प्रयोग था कि यह रोगी बच सकता है अथवा नहीं। मैंने उससे विनोदपूर्ण ढंग से हाल पूछना प्रारम्भ किया। मेरे विनोद से उसके मुख पर प्रसन्नतापूर्ण मुस्कुराहट की रेखायें उभर आईं। बस मुझे विश्वास हो गया कि मृत्यु अभी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैंने उसके साथ आए चिंतित सगे–संबंधियों को गारंटी के

साथ बतला दिया था कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपका रोगी अवश्य बच जायेगा क्योंकि उसमें अभी भी हँसने, मुस्कुराने की क्षमता शेष है और निश्चय ही कुछ समय की चिकित्सा के बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो भी गया।"

"प्रसन्नता" में अनंत जीवन–शक्ति का निवास है। सदैव प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। संसार के किसी भी महापुरुष के जीवन को यदि करीब से देखा जाए तो उनके अन्य गुणों के साथ "प्रसन्नता" का गुण मुख्य रूप से जुड़ा हुआ मिलेगा। जीवन की हर परिस्थिति में एक रस, प्रसन्न रहना महापुरुषों की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। प्रसन्नता मनुष्य की कार्य क्षमता को भी कई गुना बढ़ा देती है। प्रसन्न मन से एक व्यक्ति एक घंटे में जितना काम कर लेता है, खिन्न मन और व्यग्र मस्तिष्क वाला व्यक्ति उतना काम एक दिन में भी नहीं कर पाता। इसके अतिरिक्त प्रसन्नता की स्थिति में जो कार्यकुशलता आती है, वह शिथिल मनः स्थिति में नहीं आती। जो कार्य प्रसन्नतापूर्ण उत्साह के साथ प्रारम्भ किया जाता है वह अवश्य ही पूर्ण और सफल होता है। जिस कार्य के आरम्भ में ही प्रसन्नता के भाव समाहित होते हैं वह उस कार्य की सफलता की पूर्व सूचना है। जो काम रोते, झिझकते और खिन्न–मन से प्रारम्भ किया जाता है, उसका पूर्ण तथा सफल होने में सदैव संदिग्धता ही बनी रहती है। ऐसी स्थिति में किए हुए काम बहुधा असफल ही रहते हैं।

"प्रसन्नता" का स्थान जीवन में अमृत के समान है। अब विचारणीय विषय ये है कि जीवन की इस अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति हम कहाँ से व कहाँ तक करते हैं? भोजन, वस्त्र तथा घर गृहस्थी के प्रबंध में तो हम दिन–रात निरंतर लगे रहते हैं किंतु हमारी इस मानसिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम कितना और क्या प्रबंध करते हैं? अस्सी प्रतिशत व्यक्तियों के पास इसका उत्तर नकारात्मक ही होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम सब जीवन में मनोरंजन तथा प्रसन्नता का महत्व नहीं समझते। बल्कि हम ये धारणा बनाए बैठे हैं कि हँसना–खेलना, मनोरंजन और मनोविनोद बड़े या धन सम्पन्न लोगों के चोचले हैं। प्रसन्नता व मनोरंजन मानव जीवन की महती आवश्यकता है, ये सोच कर खेद होता है कि लोगों की धारणा इसके कितनी विपरीत है। हम स्वयं ही अपनी प्रसन्नता का निसर्ग सिद्ध अधिकार अस्वीकृत कर देते हैं जबकि मनोरंजन, मनोविनोद तथा हँसी–खुशी पर न तो अमीरों का एकाधिकार है और न ही धन–संपत्ति अथवा साधन संपन्नता पर ही इसकी निर्भरता है। पशु–पक्षी जो खुले मैदानों और विस्तृत आकाश में उछल–कूद, उड़ते और गाते–चहचाते फिरते हैं, तरह–तरह की क्रीड़ाएं और कौतुक करते हैं, अमीर और तालेवर नहीं होते और न इनके बड़े–बड़े मिल चलते हैं, न वो बड़ी–बड़ी फर्मों या कंपनियों के मालिक हैं। न ही उनकी तिजोरियाँ होती हैं और न ही बैंकों में बड़े–बड़े खाते। इतना ही नहीं उनके पास मनोरंजन तथा मनोविनोद के वैसे साधन भी नहीं होते जैसे कि मनुष्य को प्राप्त हैं, तब भी वे मनोविनोद करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। क्या मनुष्य इनसे भी गया–गुजरा है जो जीवन में इस प्रकार की निराशा तथा उदासीनता की भावना तथा धारणा बनाए बैठा है।

जीवन में नीरसता, शुष्कता तथा कुंठाओं की बहुतायत होती जा रही है। दिन भर व्यस्तता व भाग दौड़ भरी जिंदगी के चलते हम चिंताओं और कुंठाओं से घिरते जा रहे हैं। शारीरिक और मानसिक संतुलन पूर्णतया बिगड़ चुका है। कार्यक्षमता निरंतर क्षीण होती जा रही है। जीवन में उदासीनता का घना अंधेरा छा चुका है। ऐसे में सिर्फ एक प्रसन्नता या मनोरंजन ही एकमात्र उपाय है, इन सब से निकलने का, जो हमें पुनः जीवन के प्रति मांगलिक रुचि का एहसास करवा सकता है। हमें स्वयं भी प्रसन्न रहना होगा और पूरे परिवार को भी प्रसन्न रहने का अवसर देना होगा। यदि आज और अभी से ही हम और हमारा परिवार नियमित रूप से प्रसन्न रहने लगे तो कल से ही उसमें क्रान्तिकारी परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। जो स्त्रियाँ कुण्ठित और निस्तेज रहती हैं, उनके चेहरे खिल उठेंगे, उनकी मनः स्थिति सरस और मधुर हो जाएगी। नीरसता व खिन्नता के कारण उनके जीवन में समावेशित पारस्परिक कलह दूर होने लगेंगे और उनके कर्कश स्वभाव में सरसता का समावेश हो जाएगा। घर में हर ओर सुन्दरता तथा स्वास्थ्य का वातावरण बन जाएगा। परिवार की प्रसन्नता देखकर ऐसा कौन होगा, जो खुद भी प्रसन्न न हो और जिसकी मानसिक कटुता अथवा कुण्ठा कम न हो। प्रसन्न रहना और पूरे परिवार को प्रसन्न रखना प्रत्येक गृहस्थ का परम कर्तव्य है, जिसे पूरा करना ही चाहिए।

प्रसन्न रहने के लिए किन्हीं विशेष साधनों की आवश्यकता नहीं होती और न अधिक धन–संपत्ति की। परिवार के लिए थोड़ा–सा मनोरंजन जुटा देना ही काफी होगा। इस मनोरंजन के साधन के रूप में कोई छोटा–सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जा सकता है जैसे

सारा जगत स्वतंत्रता के लिए लालायित रहता है फिर भी प्रत्येक जीव अपने बंधनो को प्यार करता है
– श्री अरविंद

वीणा, सितार, ढोल, ढफली कुछ भी हो सकता है बशर्ते कि उसको बजाने की योग्यता किसी में हो। सांयकाल सब कामों से निपटकर सारा परिवार एक स्थान पर बैठे और बजाने वाला वाद्य बजाए और सारे लोग भजन कीर्तन के साथ उसकी संगत करें। प्रतिदिन की इस एक घंटे की प्रक्रिया से पर्याप्त मनोरंजन हो जाएगा और सारा परिवार ताजा तथा स्फूर्तिवान बन जाएगा। दिन भर के काम की थकान और मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। गहरी नींद आएगी तथा दूसरे दिन काम में खूब मन लगेगा। यदि कोई बजाने वाला न हो तो भी कोई हर्ज नहीं बिना वाद्य के भी भजन–कीर्तन अथवा सुन्दर कविता का पाठ किया सकता है। बच्चे की याद की हुई कोई कविता अथवा प्रार्थना सम्मिलित रूप से भी गा सकते हैं और अलग–अलग भी। भजन कीर्तन के अतिरिक्त पठन–पाठन का भी कार्यक्रम चलाया जा सकता है। किसी धार्मिक पुस्तक जैसे गीता, रामायण, महाभारत, भागवत, गुरुवाणी आदि ग्रंथों को पढ़ा–सुना जा सकता है। कहानी अथवा पहेली बुझो से भी मनोरंजन हो सकता है।

छुट्टी के दिन अथवा अवकाश के समय बाहर किसी बाग–बगीचे में जाकर प्राकृतिक संसर्ग में मनोरंजन किया जा सकता है। गर्मी के दिनों में नदी–तालाब, जल–क्रीडा केंद्र में स्नान और जाड़ों के दिनों में धूप–स्नान के लिए बाहर निकल जाना भी कम मनोरंजक नहीं है। बरसात के दिनों में किसी दिन हरे–भरे मैदान में घूमना और बरसते पानी में नहाना, खेलना और मौज मनाना भी अच्छा मनोरंजन है। इस प्रकार के न जाने छोटे–छोटे कितने कार्यक्रम हो सकते हैं जिनके द्वारा पूरा परिवार मनोरंजन का आनंद प्राप्त कर सकता है। वर्तमान समय में लोग मनोरंजन के लिए भौतिक संसाधनों जैसे बड़े–बड़े मॉल घूमने व सिनेमा देखने जाते हैं जोकि ज्यादा खर्चीले व महंगे हो सकते हैं, बजाय इसके यदि प्राकृतिक मनोरंजन के तरीके अपनाए जाए तो वो ज्यादा प्रभावी होंगे। इसके स्थान पर यदि पैसा बचाकर किसी–किसी दिन घर में कोई मंगल–दिवस आयोजित किया जा सकता है, वैसे भी भारतीय संस्कृति में नित्य ही कोई न कोई पर्व–त्यौहार रहता ही रहता है। कुछ लोगों के लिए मनोरंजन शराब, भांग, ठंडाई या कोई नशीले पदार्थ के सेवन से होता है तो ये बहुत ही घातक है। इस प्रकार का मनोरंजन करने वाले अपने परिवार के लिए विनाश की भूमिका तैयार करते हैं।

अवकाश के समय में किसी पुस्तकालय अथवा वाचनालय में जाकर समाचार तथा पत्र–पत्रिकाओं का आनंद उठाया जा सकता है। मोहल्ले–बस्ती के पढ़े–लिखे लोगों के साथ वार्ता, वाद–विवाद या विचार–विमर्श का कार्यक्रम चला सकते हैं, उनमें अनपढ़ लोग भी शामिल होकर मनोरंजन तथा ज्ञान पा सकते हैं। ऐसी ही गोष्ठियाँ समाचार–पत्र पढ़ने और सुनाने के लिए बनाई जा सकती हैं जिनमें समाचार–पत्रों का पढ़ना और समाचारों की विवेचना की जा सकती है। इससे लोगों का मनोरंजन तो होगा ही साथ ही विश्व चेतना की भी वृद्धि होगी। तात्पर्य यह है कि दैनिक जीवन की सामान्य गति से तथा वातावरण से अलग होकर कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए जिससे मन को प्रसन्नता मिले और उतनी देर के लिए चिंताओं से मुक्त रहा जा सके। मनोरंजन दो प्रकार का होता है – एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक श्रम करने वाले–मजदूर, किसान, दुकानदार, कारीगर, फेरी वाले आदि लोगों को मानसिक मनोरंजन करना चाहिए और बैठ कर लिखने–पढ़ने, क्लर्की करने वाले अथवा कोई और बौद्धिक श्रम करने वालों के लिए शारीरिक मनोरंजन ठीक रहेगा। ऐसे लोग कोई भी हॉकी, फुटबाल, बॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन खेल सकते हैं। नित्य प्रति घूमने जा सकते हैं। नदी–तालाब में यदि तैर सके तो तैरा भी जा सकता है। मनोरंजन जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। इसकी पूर्ति करने से जीवन में नीरसता, शुष्कता तथा कुण्ठाएं समाप्त हो जाती हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ आयु में भी वृद्धि होती है। कार्यक्षमता बढ़ती है और जीवन में नई उमंग का संचार होता है।

अंचल कार्यालय– बठिंडा

बैंक की अध्यक्षता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति मोगा की छमाही बैठक का आयोजन

दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति में बैंक की उपलब्धियां

दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु सदस्य कार्यालयों के लिए आयोजित राजभाषा शील्ड तथा गृह–पत्रिका प्रतियोगिता में बैंक को पुरस्कृत किया गया।

राजभाषा कार्यान्वयन शील्ड प्रतियोगिता में प्रधान कार्यालय को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ तथा बैंक की गृह–पत्रिका राजभाषा अंकुर को गृह–पत्रिका श्रेणी में प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही दिल्ली बैंक नराकास की छमाही पत्रिका बैंक भारती के 24वें अंक में प्रकाशित श्रेष्ठ रचनाओं के लिए अन्य विषयक लेख की श्रेणी में श्री विनय कुमार मेहरोत्रा, महाप्रबंधक के लेख को द्वितीय पुरस्कार दिया गया।

दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

संयोजक : पंजाब नेशनल बैंक punjab national bank

राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता (बैंक/वित्तीय संस्थान) - वर्ष 2020-21

प्रमाण-पत्र

पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय को अपने कार्य क्षेत्र में संघ की राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्य-निष्पादन हेतु राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता (बैंक/वित्तीय संस्थान) में तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने के उपलक्ष्य में प्रदत्त।

नई दिल्ली
दिनांक : 22.12.2021

सदस्य सचिव

अध्यक्ष

धैर्य कड़वा है लेकिन उसका फल मीठा है – रूसो

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा मध्य क्षेत्र के लिए 'क' क्षेत्र में बैंकों की श्रेणी के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार

बैंक के अंचल कार्यालय भोपाल को वर्ष 2017–18 के दौरान संघ की राजभाषा नीति के श्रेष्ठ निष्पादन के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा मध्य क्षेत्र के लिए 'क' क्षेत्र में बैंकों की श्रेणी के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार दिनांक 22 अक्तूबर, 2021 को गोवा में आयोजित पश्चिम एवं मध्य क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा तथा माननीय पर्यटन राज्य मंत्री श्री श्रीपाद येसो नाईक के कर कमलों से प्रदान किया गया। बैंक की ओर से आँचलिक प्रबंधक भोपाल श्री मनोज सिंह तथा राजभाषा अधिकारी सुश्री नैंसी प्रसाद ने पुरस्कार व प्रमाण–पत्र प्राप्त किए।

नराकास उपलब्धियां

फाजिल्का नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता में बैंक की फाजिल्का शाखा को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए शाखा प्रभारी फाजिल्का तथा अंचल कार्यालय फरीदकोट में पदस्थ राजभाषा अधिकारी श्री अनिक शुक्ला उपस्थित रहे।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रूपनगर (पंजाब) द्वारा आयोजित वार्षिक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता 2019–20 में बैंक की रूपनगर शाखा (पंजाब) को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। बैंक की ओर से शाखा प्रमुख श्री सरबजीत सिंह ने यह पुरस्कार प्राप्त किया।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए नराकास मोगा द्वारा आयोजित राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता में बैंक की शाखा मोगा को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार 07 दिसंबर, 2021 को आयोजित नराकास की छमाही बैठक में शाखा प्रबंधक को प्रदान किया गया।

भोजन तथा वस्त्र का दान देने से ज्ञान का दान श्रेष्ठ है तथा इससे भी श्रेष्ठ है आध्यात्मिक ज्ञान – स्वामी विवेकानंद

नराकास उपलब्धियां

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), वाराणसी द्वारा हमारे बैंक की शाखा लहुरावीर वाराणसी को राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन के लिए तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। नराकास की 20वीं छमाही बैठक में शाखा प्रबंधक श्री शिवम कुमार पटेल को श्री नरेंद्र सिंह मेहरा, उप निदेशक (कार्यान्वयन), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग ने पुरस्कार प्रदान किया।

बैंक के अंचल कार्यालय नोएडा को वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन के लिए राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता 2020–21 में तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। छायाचित्र में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), नोएडा के अध्यक्ष से पुरस्कार प्राप्त करते हुए आँचलिक प्रबंधक नोएडा श्री विनोद कुमार पाण्डेय तथा राजभाषा अधिकारी श्री शिवशरण कुमार 'शिव'।

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मुंबई को उनकी गतिविधियों/कार्यक्रमों में सक्रिय सहयोग प्रदान करने के लिए हमारे बैंक के अंचल कार्यालय मुंबई को राजभाषा सम्मान चिह्न 2021 प्रदान किया गया। छायाचित्र में बैंक नराकास अध्यक्ष के कर कमलों से सम्मान प्राप्त करते हुए अंचल कार्यालय मुंबई के मुख्य प्रबंधक श्री भगवान चौधरी।

स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय रोहिणी, दिल्ली में सतर्कता जागरूकता

लोभी मनुष्य की कामना कभी पूरी नहीं होती – वेदव्यास

सप्ताह 2021 के दौरान सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन

संजीव कुमार

नीली आह!

अरे..... ओ.... राम शरण!

राम शरण यानि अंग्रेज का डाकिया! अंग्रेज का नौक...र..र, गाँव वाले यही तो बुलाते हैं।

पगडंडियों पे तेजी से बढ़ता राम शरण, सुखनी फुआ की लड़खड़ाती आवाज को सुन के रुक गया। सुखनी फुआ लाठी के सहारे एक हाथ घुटने पे टिकाये चली आ रही थी। बेचारी सुखनी फुआ भी किस्मत की मारी है, इस उम्र में भी कितने दुख उठा रही है। जीर्ण शरीर, लाठी के सहारे किसी तरह खींची जा रही है, किसी ने कुछ खाने को दे दिया, तो खा ली, नहीं तो ऐसे ही भगवान भरोसे। ब्रिजनंदन ही तो एक मात्र सहारा है और वो भी.....राम शरण कुछ याद करते–करते , निरभ्र में खो सा गया।

अरे ओ राम शरण, मेरा बिरजू का कोई खबर?
नहीं फुआ, कोई खबर नहीं !
चिंता न करो फुआ, ब्रिजनंदन खुद आ जाएगा।

वो कोई दूध पिता बच्चा थोड़े ही न है ! जब कुछ पता चलेगा तो मैं खुद ही बता दूंगा। रोज रोज तो..... राम शरण खीजते हूए बोला।

रस्सी से बंधी, टूटी चश्मों के अंदर से झाँकती हुई वो बूढ़ी और लाचार आँखों पे राम शरण की नजर गयी तो उसे अपनी गलती का अहसास हुआ! अपनी आवाज को धीमे करते हुआ बोला "फुआ, ब्रिजनंदन मेरा भी दोस्त है, मुझे भी उसकी चिंता है, जब खबर लगेगी तो बता दूंगा।"

"अरे बबुआ.....! उसे भी किसी की चिंता है क्या? बुढ़िया मरे चाहे जिए..... न उसके आगे नाथ, न पीछे पगहा! उसके अपने माँ–बाप होते तो, मुझे ये दिन तो ना देखने पड़ते ! माँ को तो हैजा ने निगल लिया! बिरजू पाँच बरस का था तो इसके बाप इसे मेरे गोद में डाल गया था, बोला दीदी! यहाँ मजूरी से पेट नहीं भरता, नील

की खेती ने जमीन भी खराब कर दी है! कलकत्ता जा रहा हूँ, दो चार पैसे हो जाएंगे तो निलहे साहब (नील की खेती कराने वाले अंग्रेज) के करजे भी उतार दूंगा!"

बेटा, आज तीस बरस हो गए ..... अब ये बिरजू भी! सुखनी फुआ का गला भर आया था !

बेटा तुम भी तो घर का नून रोटी चला रहे हो, ये बिरजू भी तो पाँच जमात पढ़ा है लेकिन ये करम....ज....

सुखनी फुआ, बिरजू को कोसते हूए, अपने में बड़बड़ाते हुए लौट जाती है।

बिरजू उर्फ ब्रिजनंदन प्रसाद, दो महीने से फरार है ! नील की खेती का विरोध करने के कारण अंग्रेज सरकार का गिरफ्तारी वारंट है। बिरजू, चंपारण के युवा किसानों का अगुआई कर रहा है, नील की खेती करने वाले किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए। निलहे गोरे साहबों के जुल्मों से मुक्ति के लिए।

ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो उनका मुख्य व्यापार की वस्तु नील थी। औद्योगिक क्रांति ने नील की मांग को दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ा दिया था। नील तो जैसे विदेशों में अनमोल वस्तु बन गई थी। प्रारंभ में कंपनी ने स्थानीय किसानों, जमींदारों को ठीक ठाक रकम देकर नील की खेती को प्रोत्साहित किया, ज्यादा फसल लेने के लिए जमींदारों और किसानों को ढेर सारा कर्ज भी दिया। भारत में उत्पादित नील की मांग बढ़ती गई लेकिन अगले कुछ वर्षों में नील की खेती का गलत प्रभाव मिट्टी पर दिखने लगा, जमीनें बंजर होने लगी थी। दूसरी ओर कर्ज के कुचक्र ने छोटे किसानों को भूमिहीन कर दिया था, वो अब अपने ही खेत में मजदूरी को विवश थे। अब इन जमीनों पर गोरों का कब्जा होना शुरू हो गया था। नील तो खाने की वस्तु थी नहीं, ना ही किसान अपनी पसंद की फसल बो सकते थे, जिससे भुखमरी की समस्या विकराल हो गयी थी। खाने के अन्न के लिए भी निलहे साहब पर आश्रित होना पड़ गया था। किसानों, मजदूरों में गहरा असंतोष भर गया था। आए दिन विरोध को दबाने के लिए गोरों का दमनकारी कार्य जोरों पर था। कई किसानों ने जान गवाई तो कई पलायन को मजबूर हो गए। असंतोष को कम करने के लिए अंग्रेजों ने तीनकठिया प्रणाली लागू किया जिसमें एक बीघा जमीन के तीन कट्ठे हिस्से (15% हिस्से) पर ही नील की खेती का नियम था लेकिन ये सिर्फ कागजों पर ही था। निलहे साहबों पर किसी का जोर नहीं था, सिपाही उसके, जज उसके। बिरजू का बाप भी जुल्म न सह सका था और खेती–बाड़ी छोड़ कलकत्ता भाग गया।

बिरजू को नील का एक पौधा भी बोना मंजूर नहीं है, किसी के कहने से नहीं, अपने बाप के भी कहने से नहीं। बदले में चाहे, गला क्यों न काट दे। बिरजू गाँव–गाँव, शहर–शहर जा के किसानों को विद्रोह के लिए प्रेरित करता है। बिरजू को युवाओं का तो साथ मिलता है लेकिन बड़े–बूढ़े लोगों को उसका ये तरीका पसंद नहीं, लोग अपना घर चलाये या गोरों से लोहा ले। रात के करीब बारह बज रहे हैं, चंपारण से दस कोस दूर एक गुमनाम जगह में कुछ युवा किसानों की क्रांति सभा हो रही है, कुछ युवा बंगाल से भी आए हैं।

मित्रों! हम मर जाएंगे लेकिन ये नील की खेती नहीं होने देंगे। ऐसा कोई नील का गांठ नहीं, जो हमारे खून से न रंगा हो। ये गोरों के कपड़े में चमक नील का नहीं, हमारे खून के रंग का है। इसे हर हाल में रोकना होगा और अब याचना से काम नहीं चलेगा...बिरजू गर्मजोशी से हुंकार भरते हुए।

"लेकिन हमें तो ज्यादा समर्थन भी प्राप्त नहीं है, हमारे किसान भाई चुप–चाप जुल्म सहे जा रहे हैं।" एक युवा क्रांतिकारी चिंता ज़ाहिर करते हुए।

"हमें इनको जगाना होगा। गोरे जब चाहें, हमारी संपत्ति कुर्क कर दे, हमें जेल में डाल दे.... फसल खराब हो, इसकी भी जिम्मेदारी हमारी। इन बंजर होती जमीनों में हमारे बच्चों का क्या होगा? लोगों को जागना ही होगा नहीं तो हमारे भाग्य में सिर्फ अंधेरा रह जाएगा।" दूसरा क्रांतिकारी बिरजू की बात को आगे बढ़ाते हुए बोला।

"दोस्तों, हम लोग अपने मेहनत से उगाये हुए नील बाहर विदेशों में नहीं जाने देंगे, गोरों के लगाए इस चंपारण नील की फेक्टरी को तबाह कर देंगे, जब तक धमाका नहीं होगा, ये बहरे और जुल्मी लोग नहीं सुनेंगे। बहुत हो चुका विरोध प्रदर्शन और याचना। 31 दिसंबर की रात जब गोरे नए साल के जश्न में डूबे होंगे, ये सबसे सही समय रहेगा.... जब तक इनको इसी के भाषा में जबाब नहीं मिलेगा, ये जुल्म होता रहेगा...." बिरजू अपना योजना विस्तार से समझाते हुए बोला।

हम लोग तैयार हैं, अपनी मिट्टी के लिए हम अपना जान भी दे देंगे। भारत माता की जय! उत्साहपूर्ण उद्घोष से सारा माहौल क्रांतिमय हो जाता है। नए साल की पहली पौ फटने में अभी कुछ घंटे बचे थे। बिरजू सहित चार क्रांतिकारी चंपारण के नील की फेक्टरी में घुसते हैं। यहाँ चिर शांति थी। चारों तरफ नील ही नील बिखरे पड़े थे। बड़ी–बड़ी मशीनों के सामने नील का ढेर, तैयार नील का पैकेट अलग से रखे पड़े थे। किसानों की मेहनत का नील... जुल्मों का नील.....सभी इधर–उधर आश्चर्य से देखे जा रहे थे।

तभी..... ठाएं... ठाएं..... ठाएं..... ठाएं.... ठाएं..... गोली चलने की आवाज।

पौ फट चुकी थी। सूरज की किरणें धीरे–धीरे आसमान पर नीला रंग चढ़ा रहा था। राम शरण बदहवाश गाँव की ओर भागे जा रहा था। फुआ.... बिरजू... बिरजू... आवाज हलक से पूरी बाहर नहीं आ पा रही थी।

गाँव वाले जमा हो गए थे। लोग फुआ और राम शरण के साथ फैक्टरी की ओर बढ़ते हैं। सुखनी फुआ पछाड़ खा कर गिर जाती है। बिरजू सहित चारों क्रांतिकारी नील के ढेर पर खून से लथपथ बिलकुल शांत पड़े थे। खून का रंग नीला पड़ गया था या रगों में नील भरा था। बिलकुल एक जैसा। लोग बस आह भर रहे थे। इस नीले आकाश के नीचे सब कुछ नीला था, गाढ़ा नीला लेकिन सुखनी फुआ के आगे अंधेरा था, घोर अंधेरा।

प्रधान कार्यालय सतर्कता विभाग

काव्य–मंजूषा

सुभाष शर्मा

आधुनिकता का सच

मियां–बीबी दोनों मिल खूब कमाते हैं
तीस लाख का पैकेज दोनों ही पाते हैं।
सुबह आठ बजे नौकरियों पर जाते हैं
रात ग्यारह तक ही वापिस आते हैं।
अपने परिवारिक रिश्तों से कतराते हैं
अकेले रह कर वह कैरियर बनाते हैं।
कोई कुछ मांग न ले, तो मुंह छुपाते हैं
भीड़ में रहकर भी अकेले रह जाते हैं।
मोटे वेतन की नौकरी छोड़ नहीं पाते हैं
अपने नन्हें मुन्ने को पाल नहीं पाते हैं।

फुल टाइम की मेड ऐजेंसी से लाते हैं
उसी के जिम्मे वो बच्चा छोड़ जाते हैं।
परिवार को उनका बच्चा, नहीं जानता है
केवल 'आया आंटी' को ही पहचानता है।
दादा–दादी, नाना–नानी ये कौन होते है ?
अनजान है सबसे, किसी को न मानता है।
आया ही नहलाती है आया ही खिलाती है
टिफिन भी रोज–रोज आया ही बनाती है।
यूनिफार्म पहना के स्कूल कैब में बिठाती है
छुट्टी के बाद कैब से आया ही घर लाती है।
नींद जब आती है तो आया ही सुलाती है
जैसी भी उसको आती है लोरी सुनाती है।
उसे सुलाने में अक्सर वो भी सो जाती है
कभी जब मचलता है तो टीवी दिखाती है।
जो टीचर मैम बताती है वही उसे वो मानता है
देसी खाना छोड़कर पीजा बर्गर खाता है।

वीकेन्ड पर मॉल में पिकनिक मनाता है
संडे की छुट्टी मौम–डैड के संग बिताता है।
वक्त नहीं रुकता है तेजी से गुजर जाता है
वह स्कूल से निकल के, कालेज में आता है।
भला कान्वेन्ट में पढ़ने पर इंडिया कहाँ भाता है।
आगे पढाई करने वह विदेश चला जाता है।
वहाँ नये दोस्त बनते, वो उनमें रम जाता है
मां–बाप के पैसों से ही खर्चा चलाता है।
धीरे–धीरे वहीं की संस्कृति में रंग जाता है
मॉम–डैड से रिश्ता सिर्फ, पैसों का रह जाता है।
कुछ दिन में उसे काम वहीं मिल जाता है
जीवन साथी शीघ्र ढूंढ वो वहीं बस जाता है।
माँ–बाप ने जो देखा ख्वाब वो टूट जाता है
बेटे के दिमाग में भी सिर्फ कैरियर रह जाता है।
बुढ़ापे में माँ–बाप अब अकेले रह जाते हैं
जिनकी अनदेखी की उनसे आँखें चुराते हैं।
क्यों इतना कमाया ये सोच के पछताते हैं
घुट–घुट कर जीते हैं खुद से भी शरमाते हैं।
हाथ पैर ढीले हो जाते, चलने में दुख पाते हैं
दाढ़–दाँत गिर जाते, मोटे चश्मे लग जाते हैं।
कमर भी झुक जाती, कान नहीं सुन पाते हैं
वृद्धाश्रम में दाखिल हो, जिंदा ही मर जाते हैं।
अन्तर्मन की आवाज, झकझोरती बोली
बच्चे अपने लिए थे या विदेश की सेवा के लिए।
अब यह बेटा है एडिलेड में, तो बेटी है न्यूयार्क में
ब्राइट बच्चों के लिए, हुआ खुद का बुढ़ापा डार्क।
बेटा डालर में बंधा, सात समन्दर पार
चिता जलाने बाप की, गए सिर्फ पड़ोसी चार।
ऑनलाइन पर हो गए, सारे लाड़ दुलार
छोटी दुनियाँ हो गई, सब रिश्ते हैं बीमार।
बूढ़ा–बूढ़ी आँखों में, भरते खारा नीर
हरिद्वार के घाट की, देखते सिडनी में तकदीर।
ओ तेरे डालर से भला, मेरा इक कलदार
रूखी–सूखी में भी सुखी, ये अपना घर संसार।

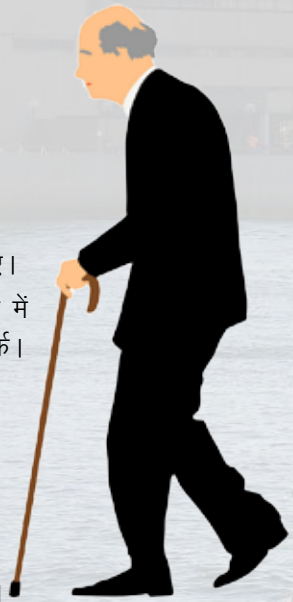

–अंचल कार्यालय गाँधी नगर

मैं उसी को महात्मा कहता हूँ जिसका हृदय गरीबों के लिए रोता है अन्यथा तो वह दुरात्मा है
– विवेकानंद

स्वेच्छा हर्ष

नदी

ये पहाड़ों के साये में चलती नदी
पिता की गोद में ज्यों मचलती नदी
साफ–अल्हड़–उफनती हुई–गूँजती
अपनी ही धुन में रस्तों में ढलती नदी
छोड़ कर जब पहाड़ों को आगे बढ़ी
जैसे बिटिया कदम अपने पहले चली
रास्तों पर नए, संगी–साथी मिले
फूल बनने लगी, जो थी नन्ही कली
देख कर चाल बेटी की मुस्काता था
पर वो पर्वत था, संग बह नही पता था
जब मिली वो नदी एक मैदान से
उसके जीवन मे गहराई आने लगी
नहरें फूटीं, कई खेत सिंचित हुए
खुशियां जीवन में विस्तार पाने लगीं
फिर नया दौर आया अचानक से यूँ
बांधने की उसे कोशिशें भी हुईं
उसके सम्मान में भी कमीं की गई
पाप धोने की फिर साजिशें भी हुईं
प्यार की बारिशों में कमी जब हुई
सूखने वो लगी, आकार घटने लगा

एक दिन फिर हुआ यूँ बहुत हो गया
सहन–शक्ति का गुल्लक कहीं खो गया
बाढ़ आई भयंकर, थी मन में दबी
तोड़ के सारे बंधन वो खुल के बही
एक नई आस से, पूरे विश्वास से
बढ़ चली आगे, नदी अब बड़ी हो गयी
कितने मौसम दिखे, कितने अनुभव मिले
कितना लंबा सफर उसने तय लिया
जा के वो मिल गयी अपने सागर से यूँ
रूप सागर का सरिता ने अब धर लिया
याद फिर भी पहाड़ों की आती रही
भाप बनके वो उड़–उड़ के जाती रही
खेत–मैदान–जंगल–नहरें–पहाड़
प्यार की बूंदे सब पर बरसाती रही
वो नदी लौट कर फिर–फिर आती रही
वो नदी लौट कर फिर–फिर आती रही।

– शाखा मयूर विहार

दिलीप लखेरा

वक्त का हर एक लम्हा

वक्त का हर एक लम्हा,
हर दिन कुछ अलग कुछ नया आएगा,
हर पल जो बीत जाता है,
साथ बहुत यादें छोड़ जाता है
उन सभी यादों के साथ हमें रहना है,
ये भी हमें बीता हुआ समय सीखाएगा,
कोई हमारा मित्र बनता है,
कोई हमारा गुरु बन के सीखाता है
किसी से हम रिश्ता बनाते है,
और कोई रिश्ता खुद बन जाता है
कोई हमेशा याद रह जाता है
किसी को वक्त याद दिलाता है,
हर लम्हा वक्त यूं ही बीत जाएगा,
जो आज हमसे बिछड़ रहा है याद हमेशा आएगा,
ये तो नियति है मिलना और मिल के बिछड़ना
जो मिलता है वो मन में बस जाता है,
फिर मिलेंगे यही आस दिलाता है,
ये दुनिया छोटी है और गोल,
जो यहां है वो मिल जाएगा
आप मिलने की इच्छा रखो
दिलीप आपसे मिलने आएगा।

अंचल कार्यालय भोपाल

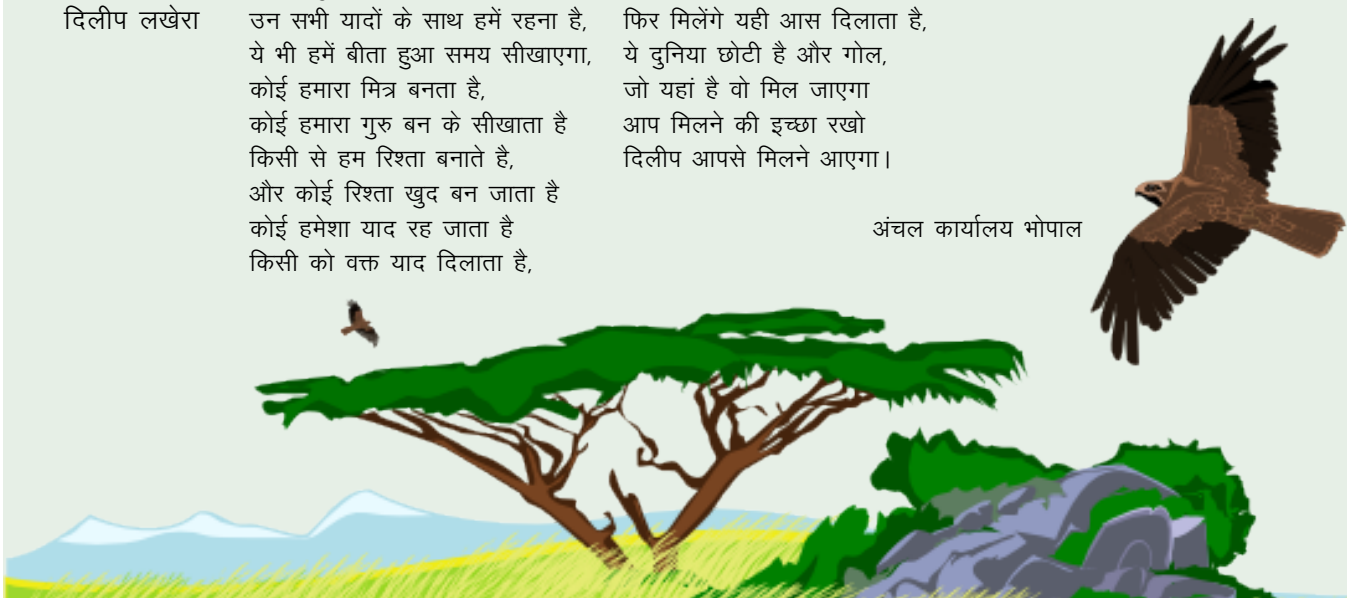

नागमणि

बैंकिंग व्यवसाय व तृतीय पक्ष उत्पाद

ऋण देना और विनियोग के लिए सामान्य जनता से राशि जमा करना तथा चेकों, ड्राफ्टों तथा आदेशों द्वारा माँगने पर उस राशि का भुगतान करना बैंकिंग–व्यवसाय कहलाता है और इस व्यवसाय को करने वाली संस्था बैंक कहलाती है। व्यवसाय तथा लोगों की निजी आवश्यकताओं के लिए बैंक धन उपलब्ध कराता है। एक ही बैंक के लिए व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा कृषि की समुचित वित्त व्यवस्था करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य होता है। अतएव विशिष्ट कार्यों के लिए अलग–अलग बैंक स्थापित किए जाते हैं जैसे व्यापारिक बैंक, कृषि बैंक, औद्योगिक बैंक, विदेशी विनिमय बैंक तथा बचत बैंक। इन सब प्रकार के बैंकों को नियमपूर्वक चलाने तथा उनमें पारस्परिक तालमेल बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक होता है जो देश भर की बैंकिंग व्यवस्था का संचालन करता है। समय के साथ कई अन्य वित्तीय गतिविधियाँ जुड़ गईं। उदाहरण के लिए बैंक वित्तीय बाजारों में महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और निवेश फंड जैसे वित्तीय सेवाओं की पेशकश कर रहे हैं। कुछ देशों (जैसे जर्मनी) में बैंक औद्योगिक निगमों के प्राथमिक मालिक हैं जबकि अन्य देशों (जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका) में बैंक गैर–वित्तीय कंपनियों स्वामित्व से निषिद्ध रहे हैं। जापान में बैंक को आमतौर पर पार शेयर होल्डिंग इकाई (जाइबत्सू) के रूप में पहचाना जाता है। फ्रांस में अधिकांश बैंक अपने ग्राहकों को बीमा सेवा प्रदान करते हैं। आज खुली अर्थव्यवस्था के युग में सार्वजनिक बैंकों के साथ ही प्राइवेट बैंकों का विस्तार हो रहा है। प्रत्येक बैंकिंग संस्थान दूसरे संस्थानों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है। ऐसे में ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विज्ञापनों का सहारा लिया जा रहा है। सामान्यतः बैंकिग व्यवसाय का आशय ऐसी सेवाओं से होता है जो किसी बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा ग्राहकों की जरूरत एवं सेवाओं की उपलब्धता के आधार पर मुहैया करायी जाती हैं।

बैंकिग व्यवसाय और सेवाओं को चार वर्गों में बाँटा जा सकता है :

1) जनता से राशि लेकर जमा करना,

2) जनता को ऋण तथा अग्रिम धन देना,
3) ग्राहको के लिए एजेंट बनकर काम करना,
4) विविध सेवाएँ प्रदान करना।

बैंक अपने ग्राहकों के लिए एजेंसी का काम भी करता है। बैंकों द्वारा की जाने वाली एजेंसी संबंधी क्रियाएँ इस प्रकार हैं : ग्राहकों के लिए बिलों, चेकों तथा प्रणपत्रों की राशि वसूल तथा उनकी ओर से चुकाए जाने वाले बिलों, चेकों तथ प्रणपत्रों का भुगतान करना, किसी व्यक्ति अथवा संस्था को नियमित रूप से एक निश्चित राशि भुगताना, बीमा कंपनियों को प्रब्याजि (बीमा की किश्त) की राशि चुकाना, सरकार का ग्राहकों की ओर से आयकर चुकाना तथा उनकी ओर से मालगुजारी चुकाने की व्यवस्था करना, कंपनी के अंशों पर लाभांश तथा ऋणपत्रों पर ब्याज वसूल करना और सरकारी सिक्यूरिटियों का क्रय–विक्रय करना तथा उनके सलाहकार और प्रतिनिधि की हैसियत से काम करना। बैंक जमा पर दिए गए ब्याज और लोन पर लिए गए ब्याज अंतर से लाभ उत्पन्न करता है और ये लाभ उधार देने की गतिविधियों से चक्रीय हो जाता है। किसे कितना लोन देना है यह ग्राहकों की ताकत और उसकी जरूरत पर निर्भर करता है हाल के दिनों में निवेशकों ने एक अधिक आय तथा कम लागत वाली ऋण की मांग की है और इसके लिए बैंक ने तृतीय पक्ष उत्पाद बेचने पर अधिक जोर दिया है। प्राथमिक रूप से ऋण से प्राप्त ब्याज, ऋण पर लगने वाला सेवा प्रभार, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, विदेशी मुद्रा विनिमय, बीमा, निवेश, तार स्थानान्तरण शुल्क से प्राप्त आय से बैंक को थोक आय होता है।

बैंकिंग, निवेश और बीमा कार्य पारंपरिक बैंक को ग्राहकों की बढती ''वन–स्टॉप शॉपिंग'' की वजह से तृतीय पक्ष उत्पाद बेचने लगे हैं जिससे न केवल बैंक की लाभप्रदता में बढ़ोतरी होगी बल्कि बैंकों ने जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण के प्रयोग का विस्तार किया है।

वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, बैंकों को गैर जोखिम सहभागिता के आधार पर अन्य इकाइयों के एजेंट के रूप में बीमा और म्युचूअल फंड की मार्केटिंग करने की अनुमति है लेकिन ऐसा देखा जाता है कि बैंकों ने बीमा और म्युचूअल फंड की मार्केटिग वालों की ड्यूटियों को शाखा के अन्य कार्यो से अलग नहीं कर रखा है और बैंक कर्मचारियों को तीसरे पक्ष जैसे बीमा, म्युचूअल फंड या अन्य कंपनियों के उत्पाद बेचने के कारण गलत/अनुचित बिक्री (मिस–सेलिंग) व स्टाफ प्रोत्साहन संरचना में गड़बड़ी मिल रही है। इसलिए, बैंकों को यह कहा गया है कि:

- बैंक शाखाओं में अनुमोदन/लेनदेन प्रक्रिया से मार्केटिंग के कार्य को अलग रखा जाए।
- बैंक के कर्मचारी बीमा कंपनियों, म्युचूअल फंड और तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) के उत्पाद देने वाली अन्य इकाइयों से सीधे–सीधे नकद प्रोत्साहन नहीं लें और
- यह सुनिश्चित करें कि बैंक स्वंय के या तीसरे पक्ष के वित्तीय उत्पादों की मार्केटिंग और वितरण में गलत या अनुचित बिक्री न हों या हितों के टकराव न हों।

एजेंट के रूप में तृतीय पक्ष के वित्तीय उत्पादों की मार्केटिंग और वितरण करते समय बैंक ग्राहक के संबंध में केवाईसी/एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों के अनुसार समुचित सावधानी का पालन करना चाहिए। कुछ बैंक, ऐसे मामलो में, जहां जरूरी हो, नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआरएस) या संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआरएस) भी फाईल करना चाहिए। केवाईसी/एएमएल/सीएफटी के नियम उत्पादों के तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) विक्रेता पर भी लागू होते हैं पर जब कभी भी एजेंट के रूप में थर्ड पार्टी उत्पाद की बिक्री की जाती है तो अत्यंत सतर्कता से वर्तमान केवाईसी/एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों के तहत ग्राहक के बारे में अपेक्षित समुचित सावधानी का पालन करना चाहिए। केवाईसी/एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों में निर्धारित अवधि व तरीके के अनुसार थर्ड पार्टी उत्पाद की बिक्री और संबंधित अभिलेखों का ब्यौरा रखा जाना चाहिए।

बैंक के परिसंपत्ति विभागों का प्रबंधन भी आज के आर्थिक परिवेश में एक चुनौती बनी हुई है। ऋण बैंक की प्राथमिक परिसंपत्ति वर्ग है और जब ऋण की गुणवत्ता पर संदेह हो जाता हैं, बैंक की नींव हिल जाती है। बैंकों के लिए परिसंपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट वित्तीय संस्थाओं के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। बदलते आर्थिक परिवेश का बैंकों और कम खर्च पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है क्योंकि वे अपने उच्च ब्याज दर से ऋण कम होने से उत्पन्न लाभप्रदता में कमी का सामना करने के लिए प्रभावी प्रबंध करते हैं, जैसा की हमें पता है कि जमा राशियों के लिए प्रतियोगिता की दर और आम बाजार में परिवर्तन बैंकों के लिए प्रभावी रूप से बाजार के साथ अपने आर्थिक विकास की रणनीति तय करने के लिए एक चुनौती रहा है। बढ़ती ब्याज दर से वित्तीय संस्थाओं को लाभप्रदता बढ़ाने में मदद मिलती है लेकिन इस परिवर्तन का प्रभाव उपभोक्ताओं और व्यापारों पर बाद में होता है जो बैंकों के लिए चुनौती होती है।

बैंकिंग उद्योग की बढ़ती लाभ के लिए मुख्य बाधा बढता नियामक बोझ, सरकारी नए नियामक और गैर पारंपरिक वित्तीय संस्थानों की बढ़ती प्रतियोगिता है। बैंक शेयरधारकों द्वारा चल रहे दबाव का सामना करते हैं, सार्वजनिक और निजी दोनों आय और विकास अनुमानों को प्राप्त करने के लिए बैंक नियामक बैंकों पर विभिन्न जोखिम के वर्गीकरण पर दबाव बढ़ते हैं इसलिए बैंकिंग भी एक अत्यंत प्रतिस्पर्धी उद्योग बन गया है।

प्रधान कार्यालय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग

रचनाकारों से निवेदन

रचनाकारों से निवेदन है कि बैंक के प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित की जा रही तिमाही हिंदी गृह–पत्रिका "राजभाषा अंकुर" में प्रकाशन हेतु लेख भेजते समय लेख के अंत में अपना नाम, शाखा/कार्यालय का नाम व पता, मोबाइल नंबर तथा अपना बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड अवश्य लिखें। इसके साथ ही लेख के संबंध में मौलिकता प्रमाण–पत्र और अपना फोटो भी उपलब्ध कराएं। सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्य उपरोक्त के अतिरिक्त अपने घर का पता तथा स्थायी खाता संख्या (पैन नंबर) का भी उल्लेख करें।

–मुख्य संपादक

मूल तमिल लेख

காப்பீடு என்பது ஓர் நல்ல நம்பிக்கையின் ஒப்பந்தம்

पी. षण्मुखम

காப்பீட்டில் சிக்கலான விஷயம் உங்கள் கண்ணுக்குத் தெரியாத அதன் தன்மை. உங்களுக்கு அது கிரெடிட் கார்டாகவோ டெபிட் கார்டாகவோ அல்லது வீட்டுக் கடனாகவோ கிடைக்கப்பெறாது. ஆனால் அது நீங்கள் அறியாமலேயே மிக குறைந்த செலவினத்தில். கிடைக்கக் கூடிய பன்மடங்காகப் பெறக்கூடிய ஒரு ஆவணம். காப்பீடு என்பது சில கொள்கைகளின் அடிப்படையில் செயல்படுகின்ற ஒரு ஒப்பந்தமாகும். காப்பீடு செய்யப்பட்ட சாத்தியமான காப்பீட்டாளராக இந்தக் கொள்கைகளை புரிந்து கொள்ளவும், அதன் மூலம் அதிகப் பலன்களையும் பெற உதவும்.

தனி நபர் காப்பீட்டிற்க்குப் பொருந்தும சில முக்கிய கொள்கைகளைப் பற்றி கீழே காணுங்கள்

முழு நம்பிக்கை என்பது காப்பீட்டு ஒப்பந்தத்தின் கொள்கைகளில ஒன்றாகும். இதன் பொருளானது எல்லா தரப்பினரும் காப்பீட்டுக்கழகம், காப்பீட்டாளர் மற்றும் காப்பீடு செய்பவர் ஒருவரக்கொருவர் வெளிப்படைத்தன்மையோடு இருக்க வேண்டும் என்பதுடன் பாலிசியை வெளியிடுவதற்கு முன்பும் பின்பும் அதனைப்பற்றிய விவரங்கள் தெளிவாக இருக்க வேண்டும். எக்காரணத்தினாலும் ஒரு தரப்பினரின் தகவல் பரிமாற்றத்தைத் தவிர்ப்பது என்பது மற்றொரு தரப்பினரின் நலன்களுக்கு எதிராக செயல்படுவதற்க்கான சாத்தியக் கூறுகள் அதிகம். நீங்கள் உடல் நலக் காப்பீட்டை ஏற்க்கும் தருவாயில் உங்கள் உடல் நலம் குறித்த அனைத்து தகவல்களையும் நீங்கள் பகிர வேண்டும். தங்களது சுய விவரத்துடன் கூடிய சாதகமற்ற சுகாதாரக் குறிப்புகள் காப்பீடு விதிமுறைகளுக்குட்பட்ட கட்டணங்கள் மற்றும் காப்பீட்டு உரிமையின் விகிதாசாரத்தை பாதிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அதன் மூலம் கிடைக்கப் பெறுகின்ற சில சலுகைகளும் நிராகரிக்கப்படுவதற்க்கான வாய்ப்புள்ளது. மேலும் ஒரு கட்டத்தில் தங்களுடைய கோரிக்கைகள் முழுமையாக நிராகரிக்கப்பட்டு காப்பீடு ஒப்பந்தமே செல்லாது என்றாகி விடும். காப்பீட்டாளரின் முகவர் தங்களுக்கு காப்பீடு சம்பந்தப்பட்ட விலக்கின் விதிமுறைகளையும் அதற்க்கான நிபந்தனைகளையும் முழுமையாக விளக்க வேண்டும். காப்பீட்டின் ஒரு முக்கியமான அம்சம் அதனுடைய இழப்பீட்டுக் கொள்கையாகும் அதாவது இழப்பீடு ்அல்லது திருப்பிச் செலுத்துதல், காப்பீடு உரிமை கோரல் போன்றவை உங்களின் நிதி இழப்பே ஒழிய அதனால் பயன் பெறுகிறீர்கள் என்பது அர்த்தமல்ல.

மேலும் ஆழ்ந்து நோக்கினால், நீங்கள் உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை காப்பீடு செய்யவில்லை மாறாக இழந்த ஆரோக்கியத்தை மீட்டெடுப்பதற்க்கான நிதிச் செலவை மட்டுமே காப்பீடு செய்கிறீர்கள். தீ விபத்து அல்லது திருட்டின் மூலம் இழந்த சொத்து அல்லது பொருளின் மதிப்பிற்க்குதான் நீங்கள் காப்பீடு செய்கிறீர்கள். ஆயுள் காப்பீடு மனித உயிர்க்கு

நிகரான மதிப்பளிக்கக்கூடியதாக இருக்கமுடியாது. ஏனென்றால் காப்பீடு செய்யப்படுவது ஆயுள் அல்ல மாறாக அது காப்பீடு செய்தவருக்கான எதிர்கால வருமானம்.

பிணைக்கும் பிணைப்பு

எந்த ஒரு காப்பீடும் காப்பீடு செய்வதற்க்கான ஆர்வத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டதாக இருக்கும். ஒரு பொருள் சார்ந்த இழப்பு ்அல்லது அதன் அழிவு காரணமாகத்தான் நீங்கள் நிதி இழப்பை சந்திக்கிறீர்கள். அத்தருணத்தில்தான் உங்கள் காப்பீட்டு உரிமையை நீங்கள் கோர முடியும். உங்களுடைய உடல்நலக்குறைவின் போதோ அல்லது உங்களின் சொத்துகள், பொருள்கள் மற்றும் வாகனங்கள் ஆகியவற்றினால ஏற்படும் இழப்பை ஈடுகட்டத்தான் காப்பீட்டுத் தொகை மிக்க உதவிகரமாக இருக்கிறது. காப்பீட்டு வரையறைகளின்படி உங்கள் குடும்பத்தினர்க்கும் ஆயுள் காப்பீடு செய்து அவர்களின் மருத்துவத்திற்க்கு அத்தொகையை பயன்படுத்தலாம்

ஒரு நபர் இறக்கும் தருவாயில் அவரது இயற்க்கையான ்அல்லது சட்டபூர்வமான நிதிக் கடமைகள் பெரும் ஆபத்துக்குள்ளாவதை தடுக்கும் பொருட்டு அங்கே காப்பீட்டின் தொகையையும் மற்றும் அதற்க்கான ஆர்வத்தையும் கோடிட்டு காட்டுகின்றன.இத்தகைய காப்பீடு விதிமுறைகளை ஏற்றுக் கொள்ளாத பட்சத்தில் அது சூதாட்டத்திற்க்கான அடித்தளத்தை உருவாக்கிவிடும் என்பதும் நிதர்சனமான உண்மை. காப்பீடு செய்வதற்க்கான ஆர்வம் எந்த அளவிற்க்கு பொருந்தும் என்பதற்க்கான சில வரம்புகள் உள்ளன. கடனளிப்பவர்கள் தங்களின் வாடிக்கையாளர்களின் கடன் தொகைக்கு ஏற்ப காப்பீடு செய்யலாம் அல்லது தனிநபர்கள் தங்கள் நியாயமான நிரூபிக்கக்கூடிய எதிர்கால சாத்தியமான வருவாய் மற்றும் ஆயுட்காலம் ஆகியவற்றுக்கு எதிராக தங்களை காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம். மற்றும் காப்பீடு செய்து கொண்டாலும் நீங்கள் உங்கள் வாகனங்களை பாதுகாப்பான இடத்தில் நிறுத்தி அதை பராமரிக்க வேண்டும். விபத்துகள் ஏற்பட்டாலும் அதற்க்கான நிதிச் செலவைக் குறைக்கும் விதமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது காயம்பட்ட நபருக்கு முறையான மருத்துவ உதவி வழங்குதல் மற்றும் வாகனத்தை நியாயமான கட்டணத்தில் சரி செய்தல் போன்றவை இதில் அடங்கும்.

உடல் நலக் காப்பீட்டைப் பொறுத்தவரை நீங்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனையை முழுமையாக பின்பற்ற வேண்டும்.

இவை போன்ற காப்பீட்டுக் கொளகைக்கான பற்பல சுவாரஸ்யமான நிபந்தனைகள் உங்களைப் பாதுகாக்கவே உதவுகின்றன மற்றும் காப்பீட்டாளர் மற்றும் காப்பீடு செய்துகொள்பவர் ஆகிய இரு தரப்பினரின் உறவை ஒரு சமநிலையான ஒப்பந்ததிற்க்குள் உட்படுத்தியிருக்கின்றன.

--- ப. ஷண்முகம்
முதுநிலை மேலாளர் (ஓய்வு)
பஞ்சாப் சிந்து வங்கி சென்னை

पी. षण्मुखम

बीमा एक उत्तम विश्वास का अनुबंधन है!

मूल तमिल लेख का हिंदी अनुवाद

बीमा में जटिलता की बात यह है कि यह अमूर्त है। आप इसे देख भी नहीं सकते हैं और इसके आकार को भी क्रेडिट/डेबिट कार्ड या अन्य ऋण के रूप में हमें उपलब्ध नहीं होती पर यह आपके लिए कुछ जिम्मेदारियाँ सहित बिना भुगतान के एक उत्पाद की प्राप्ति है!

बीमा एक अनुबंध है जो कुछ सिद्धांतों के तहत संचालित होता है। एक बीमाधारक या संभावित बीमाकर्ता के रूप में, इन सिद्धांतों को समझने से आपको उत्पाद की सराहना करने और इससे बाहर निकलने में मदद मिलेगी।

यहाँ कुछ मुख्य सिद्धांत दिए गए हैं जो व्यक्तिगत बीमा पर लागू होते हैं।

परम सद्भाव बीमा अनुबंध के सिद्धांतों में से एक है। इसका मतलब है कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के साथ पारदर्शी होना चाहिए और पॉलिसी जारी होने से पहले और बाद में दोनों ही भौतिक तथ्यों का पारदर्शक होना जरूरी है। कभी–कभी एक पक्ष द्वारा किये गये जानकारी की रूकावट दूसरे के हितों के खिलाफ हो सकता है।

जब आप एक स्वास्थ्य बीमा लेते हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करना चाहिए जो शर्तों और दरों से प्रभावित हैं। एक प्रतिकूल स्वास्थ्य इतिहास का मतलब आपके जोखिम प्रोफाइल से मेल खाने वाली उच्च दर या आपके प्रस्ताव की अस्वीकृति भी हो सकती है। लेकिन गैर–प्रकटीकरण, दावों की अस्वीकृति को जन्म देगा क्योंकि अनुबंध शून्य हो जाएगा। इसी तरह, बीमाकर्ता को अपने लिए पूर्ण प्रकटीकरण के मामले के रूप में, विशेष रूप से बहिष्करण के नियमों और शर्तों को समझ लेना अनिवार्य है।

बीमा का एक महत्वपूर्ण आधार क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है, जिसका अर्थ है क्षतिपूर्ति या प्रतिपूर्ति। एक बीमा दावा आपके वित्तीय नुकसान की बराबरी करता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसमें लाभ उठाएँ।

जब आप बारीकी से देखते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य का बीमा नहीं करते हैं, इसके विपरीत आप खोई हुई स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने की वित्तीय लागत का ही बीमा करते हैं। आप आग या चोरी में खोई गई संपत्ति या लेख की लागत का बीमा करते हैं। जीवन बीमा के अंतर्गत आप मानव जीवन पर एक मूल्य नहीं रख सकते क्योंकि जो बीमाकृत है वह जीवन नहीं है, बल्कि बीमित व्यक्ति की संभावित भावी कमाई है।

वह बाँध जो बाँधता है

बीमा योग्य ब्याज एक ऐसा आधार है जिस पर कोई भी बीमा लिया जा सकता है। आप किसी चीज का बीमा तभी करवा सकते हैं जब आप बीमा के नुकसान, उससे नष्ट होने या उसी में खो जाने पर वित्तीय नुकसान का सामना करेंगे। आपके पास अपनी सभी संपत्तियों और सामानों पर एक बीमा योग्य ब्याज है।

जब आपका स्वास्थ्य पीड़ित होता है, तो आप खर्च उठाते हैं और

अपार धनशाली कुबेर भी यदि आय से अधिक व्यय करे तो निर्धन हो जाता है – चाणक्य

कोई आपकी कार या आपके स्वास्थ्य का बीमा नहीं कर सकता है। बीमा के पारिभाषिक तथ्यों के अनुसार, आप अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का बीमा कर सकते हैं जिस से आप जरूरत पडने पर उनके अस्पताल खर्चों को संभाल सकते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनके प्राकृतिक या कानूनी वित्तीय दायित्व खतरे में होते हैं।

वे सभी बीमा योग्य ब्याज का संकेत देते हैं। यदि इसका पालन नहीं किया गया उस स्थिति में तो बीमा पॉलिसी जुआ हो सकती है या इससे भी बढ़कर अपराध का एक आधार हो सकता है। इस पर सीमाएं भी हैं कि किस हद तक बीमा योग्य ब्याज लागू हो सकता है। ऋणदाता अपने ग्राहकों को ऋण की सीमा तक बीमा कर सकते हैं या लोग उचित ढंग से सिद्ध भविष्य की संभावित कमाई और जीवन प्रत्याशा के उत्पादन के लिए खुद का बीमा कर सकते हैं।

हानि कम करने के सिद्धांत का अर्थ है कि आप बीमा पॉलिसी लेने के बाद भी आपको अभी भी इस तरह कार्य करना चाहिए जैसे कि आप एक विवेकहीन अनिर्णायक हैं। मतलब ऐसा है कि आपको एक पॉलिसी लेने की बावजूद भी अपनी कार को एक सुरक्षित स्थान पर पार्क करना चाहिए और इसे लॉक करना चाहिए। यदि कोई दुर्घटना होती है तो आपको इस तरह से व्यवहार करना चाहिए कि दुर्घटना की वित्तीय लागत कम से कम पड़े। जैसे किसी घायल व्यक्ति पर उचित चिकित्सा हेतु ध्यान देना और उचित लागत पर अपने वाहन की मरम्मत करवाना। स्वास्थ्य बीमा के संदर्भ में, आपको चिकित्सकीय सलाह का पालन करना बेहतर है।

ये और अन्य सैद्धांतिक तथ्यों को दिलचस्प तरीके से अपनी रक्षा करने और दोनों पक्षों के रिश्ते को एक समान रूप से अनुबंध पर लाने का काम करते हैं।

सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)

आपकी कलम से

हमें 'राजभाषा अंकुर' का सितंबर–2021 अंक प्राप्त हुआ। राजभाषा अंकुर के मूल में पत्रिका के कलेवर को रोचक, सारगर्भित, प्रेरक और उपयोगी बनाने के प्रति सार्थक सोच है जो पत्रिका के इस अंक में दिखाई पड़ रही है। श्री वी एस मिश्रा के आलेख 'हम हिंदुस्तानी' में भाषा की जानकारी के साथ रिश्तों की अहमियत भी बताई गई है, आलेख में उल्लिखित पंक्ति 'जमाना मिलावट का है पर मिलावट को नैतिक आधार नहीं मान सकते। अन्न में मिलावट प्राणघातक हो सकता है तो भाषा और संस्कृति में मिलावट अपनी ही विरासत के लिए घातक हो सकता है', गागर में सागर भरने के समान है। श्री देवेन्द्र का आलेख 'खेल–खेल में हिंदी', हमें हिंदी भाषा के प्रति अधिक से अधिक जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। सुश्री पूजा शर्मा की कविता 'हिंदी में ही काम करें' वैचारिकता से परिपूर्ण है। 'ज़रा सोचिए' कॉलम हमेशा प्रेरित करता है। श्री प्रदीप वर्मा की कविता और सुश्री रीना की कविता सार्थक सोच का परिणाम है।

पत्रिका के प्रकाशन में विषयों का समायोजन और वर्तनी में गलतियों का न होना संपादक मंडल के परिश्रम और अनुभव का परिणाम है।

– भगवान चौधरी, सहायक महाप्रबंधक, अंचल कार्यालय मुंबई

बैंक पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' का नवीनतम अंक प्राप्त हुआ–धन्यवाद। पत्रिका का आवरण–पृष्ठ आकर्षक एवं मनमोहक बन पड़ा है। उच्च स्तरीय साज–सज्जा व ज्ञानवर्धक सामग्री से ओतप्रोत यह अंक संग्रहणीय बन पड़ा है। बैंकिंग तथा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में यह पत्रिका अग्रणीय बन पड़ी है।

बैंक के लिए गौरव की बात है कि आपके कुशल नेतृत्व में बैंक को ''राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (द्वितीय)" मिला है। समूह बैंक परिवार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

–डॉ. चरनजीत सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)

हिंदी कार्यशाला

अंचल कार्यालय फरीदकोट

अंचल कार्यालय बरेली

अंचल कार्यालय होशियारपुर

एसटीसी रोहिणी

अंचल कार्यालय दिल्ली–1

अंचल कार्यालय लुधियाना

अंचल कार्यालय मुंबई

अंचल कार्यालय भोपाल

अंग्रेजी माध्यम भारतीय शिक्षा में सबसे बड़ा विघ्न है। सभ्य संसार के किसी भी जन समुदाय की शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा नहीं है – मदन मोहन मालवीय

हिंदी कार्यशाला

अंचल कार्यालय गुरूग्राम

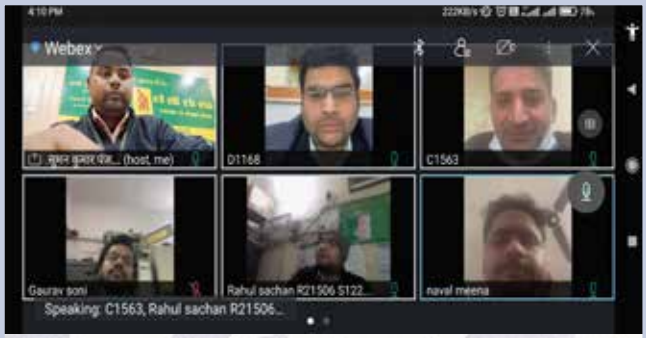

अंचल कार्यालय गुरदासपुर

सहभागी

सहभागी

राजभाषा संगोष्ठी

अंचल कार्यालय गुरुग्राम में दिनांक 08.10.2021 को "आंतरिक कामकाज में हिंदी का प्रयोग" विषय पर राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता आँचलिक प्रबंधक श्री हरजिंदर सिंह ने की तथा मुख्य प्रबंधक श्री नरेश कुमार व श्री रतीपाल ने सहभागियों को संबोधित किया। संगोष्ठी में गुरुग्राम अंचल की विभिन्न शाखाओं के कार्यालय प्रमुख उपस्थित रहे। संगोष्ठी के दौरान बैंक के आंतरिक कामकाज में हिंदी प्रयोग के क्षेत्रों तथा उनसे बैंक को होने वाले लाभ पर चर्चा की गई।

मोहन लाल

कुरूक्षेत्र : अनुपम पर्यटन स्थल

कुरुक्षेत्र जिसको धर्मक्षेत्र के नाम से जाना जाता है, पवित्र तीर्थ स्थल और युद्ध क्षेत्र भी है। हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से जुड़ा कुरुक्षेत्र भारत के हरियाणा राज्य का एक प्राचीन शहर है। यह करनाल, यमुनानगर, कैथल और अम्बाला जिलों के मध्य सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। कुरुक्षेत्र का यह नाम कौरवों के नाम से पड़ा जिसका अर्थ है रणभूमि। यही पर प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध हुआ था जो पांडवों तथा कौरवों के बीच लड़ा गया। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश यही पर ज्योतिसर नामक स्थान पर दिया था। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार सर्वप्रथम यह क्षेत्र ब्रह्मवेदी के नाम से जाना जाता था फिर इस क्षेत्र का नाम समंतपंचक हुआ और अंत में 'कुरुक्षेत्र'। महाभारत से पूर्व इस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र के साथ–साथ प्रजापति की वेदी (ब्रह्मवेदी) भी सर्वप्रथम पंचविंश ब्राह्मण में मिलता है। कुरुक्षेत्र का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा में मिलता है। ऋग्वैदिक साक्ष्यों के अनुसार आर्यों की प्रमुख जातियां भरत एवं कुरु इसी भूमि से सम्बंधित हैं। इन्हीं दोनों जातियों के सम्मिश्रण से कुरु नामक जाति का अविर्भाव हुआ। कुरुओं के इस स्थान पर निवास करने के कारण यह स्थान कुरुक्षेत्र के नाम से विख्यात हुआ। कुरुक्षेत्र का एक अन्य नाम समंतपंचक भी था। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार परशुराम ने अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध स्वरूप क्षत्रियों के रक्त से पांच हौद को भर दिया। पितरों के आशीर्वचनों से ये पांचों हौद तीर्थरूप में परिवर्तित हो गए। इन्हीं हौदों के समीप का प्रदेश समंतपंचक कहलाया। महाभारत तथा पुराणों में उत्तरवेदी और समंतपंचक को एक ही क्षेत्र कहा है। महाभारत में कौरवों और पाण्डवों के युद्ध को समंतपंचक में लड़ा बताया गया है। अतः इसमें कोई भी संदेह नहीं कि समंतपंचक क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र था।

भारत के पौराणिक इतिहास को समझने के लिए आप यहां की यात्रा कर सकते हैं। हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा यहां समय–समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसके अंतर्गत महाभारत के कुछ हिस्सों को मनोरंजक रूप से वर्णित किया जाता है। मौर्य साम्राज्य के दौरान कुरुक्षेत्र एक अध्ययन केंद्र के रूप में भी उभरा था। अपने पौराणिक महत्व के कारण यह भूमि पूरे विश्व में जानी जाती है।

कुरुक्षेत्र को वैदिक संस्कृति का उद्‌गम एवं विकास स्थल होने

का गौरव प्राप्त है। यहीं ऋग्वेद में वर्णित, वेद–वन्दिता, नदियों में सर्वोतम, सदानीरा सरस्वती के किनारे ऋषियों ने वेद की ऋचाओं को संहिताबद्ध करके सारे विश्व को मानवता का संदेश दिया था। वैदिक–ऋषियों ने कुरुक्षेत्र में वास करने की प्रार्थना के साथ–साथ इस क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र कहीं गमन न करने की अभिलाषा व्यक्त की थी। इसी स्थान पर महर्षि वेदव्यास जी ने पंचम वेद महाभारत की रचना की थी। महाभारत, मत्स्यपुराण तथा पद्मपुराण में कहा गया है कि पृथ्वी पर नैमिष तीर्थ तथा अंतरिक्ष तीर्थ श्रेष्ठ है किंतु तीनों लोकों में तो कुरुक्षेत्र ही सर्वश्रेष्ठ है। वामनपुराण के अनुसार जो व्यक्ति कुरुक्षेत्र में यज्ञ करेंगे वे पाप रहित होकर पुण्य लोकों को प्राप्त करेंगे। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र के मध्य में सूर्योपासकों का देवयजन स्थान है। इन्हीं दोनों पुराणों के अनुसार कुरुक्षेत्र में विधिवत् अमावस्या को किया जाने वाला श्राद्ध अक्षय होता है तथा जो पुत्र कुरुक्षेत्र में पितरों का पूजन करता है वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है।

वैदिक तथा पौराणिक साहित्य में इस भूमि से जुड़ी अनेक कथाओं तथा आख्यानों का विशद वर्णन मिलता है जिनमें शर्यणावत सरोवर के निकट महर्षि दधिचि द्वारा दानवों को मारने के लिए अस्थियां दान करने का प्रसंग, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी का पुरुरवा से पुनर्मिलन, परशुराम द्वारा अत्याचारी क्षत्रियों के रक्त से पांच कुण्ड भरने की कथा, महाराज कुरु द्वारा इस भूमि में अपना शरीर दान करके धर्म का बीज बोने की कथा, जिसके कारण यह भूमि धर्मक्षेत्र कहलाई आदि कई आख्यान बहुत प्रसिद्ध हैं।

कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध तीर्थ अभी तक विद्यमान हैं। इन तीर्थों में सन्निहित सरोवर, ब्रह्मसरोवर, सरस्वती तीर्थ (पेहवा), स्थानेश्वर महादेव बहुत महत्वपूर्ण हैं। महाभारत से जुड़े अनेक तीर्थों में ज्योतिसर (जहां भगवान कृष्ण ने विशादग्रस्त अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान दिया था) तथा नरकातारी जहां शय्या पर लेटे भीष्म पितामह को अर्जुन ने भूमि से बाण मार कर जलधारा प्रकट की थी।

ब्रह्मसरोवरः कुरुक्षेत्र का सर्वाधिक प्राचीन, भव्य तथा विशाल तीर्थ ब्रह्मसरोवर है। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में शर्यणावत का उल्लेख मिलता है और प्रत्येक मंत्र में सायण इसकी व्याख्या कुरुक्षेत्र के मध्य में स्थित एक सरोवर के रूप में करते हैं। इसी सरोवर के तट पर स्थित इन्द्र ने सोम का पान किया था। इससे प्रतीत होता है कि सोम की उत्पत्ति कुरुक्षेत्र में होती है। शतपथ ब्राह्मण में भी इसका वर्णन आता है। इस प्रकार यह सरोवर उतना पुराना तो है ही जितना ऋग्वेद है। आज यह एशिया का सबसे सुंदर सरोवर माना जाता है। यह हिंदुओं का एक पवित्र स्थान माना जाता है। सूर्यग्रहण

के दिन यहां पर बहुत बडे मेले का आयोजन किया जाता है। इस दिन देश भर के लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। यहां पर वह ब्रह्मसरोवर में स्नान करते है। इसका पूर्वी भाग 1800 फुट लम्बा तथा 1500 फुट चौड़ा है और पश्चिमी भाग का विस्तार 1500 फुट है तथा इसकी गहराई 15 फुट है। इसके तट पर अनेक भव्य मंदिर तथा आश्रम हैं। दूर–दूर तक लहराती ब्रह्मसरोवर की अपूर्व सौंदर्य की नीलिमा पर्यटकों के चित को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है।

ज्योतिसरः ज्योतिसर कुरुक्षेत्र का वह स्थान है जहां पर श्रीकृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। (ज्योति का मतलब रोशनी तथा सर का मतलब तालाब) जिस बरगद के वृक्ष के नीचे श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था।

भद्रकाली माता मंदिरः कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर मां भद्रकाली माता का मंदिर है जो माँ भद्रकाली शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। पुरानी कथाओं मे शिव पुराण में इसका वर्णन मिलता है। एक बार सती अपने पिता के घर आती है, वहां पर उसके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया था। उस दिन सती के पिता दक्ष ने उनके पति शिव का अपमान कर दिया तो सती ने क्रोध में आकर उसी यज्ञ में अपने प्राणों की आहुती दे दी। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के जले हुए शरीर के 52 हिस्सों में बांट दिया। इस प्रकार जहां–जहां यह अंग गिरे वही पर माँ सती के मंदिर का

निर्माण स्थान है। कुरुक्षेत्र में भी माँ सती का अंग गिरा जिसके कारण यहां पर भी मंदिर का निर्माण हुआ।

दधिचि सारस्वत तीर्थः यह दधिचि और उसके पुत्र सारस्वत से संबंधित तीर्थ है। यहां दधिचि ने इन्द्र को राक्षसों का संहार करने के लिए अस्थियां प्रदान की थीं।

स्थाण्वीश्वर (स्थानेश्वर): विद्वानों ने इसका संबंध थानेसर से स्थापित किया है। यह अति प्राचीन तीर्थ है। वामन पुराण में इस तीर्थ का अति महत्व कहा गया है। यहां स्वयं भू शिवलिंग स्थापित है।

सन्निहितः यह कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थों में से एक और सर्वाधिक प्राचीन तीर्थ है जहां पर अमावस को एक बड़ा मेला लगता है जिसमें सिख श्रद्धालु भी बहुत बड़ी मात्रा में स्नान के लिए आते हैं। इसके किनारे सिखों के छठे गुरू श्री हरगोविन्द जी का भव्य ऐतिहासिक गुरूद्वारा स्थापित है। वामन पुराण के इस वर्णन से प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में सन्निहित बहुत विशाल और स्थाणुतीर्थ भी इसमें समाहित था। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति इसी सरोवर से हुई।

प्राचीन भारत में कुरुक्षेत्र अपने समृद्ध रूप में विद्यमान था लेकिन समय के साथ–साथ इसके सांस्कृतिक स्वरूप में विकृति आनी शुरू हो गई या इसके पुरातत्व स्थलों को नष्ट करना प्रारंभ किया गया। कई शक्तियां राजनैतिक सत्ता हथियाने के लिए मैदान में कूद पड़ीं और साम्राज्य छोटे–छोटे गणराज्यों में बंट गया। कुछ काल पश्चात पश्चिम दिशा से आक्रमण आरंभ हो गए जिनको रोक पाने की शक्ति किसी गणराज्य में नहीं थी। इन आक्रमणकारियों ने कुरुक्षेत्र को खूब लूटा। महमूद गजनवी का तो उद्देश्य ही धन प्राप्त करना था। उसने कई बार आक्रमण करके कुरुक्षेत्र के प्राचीन मंदिरों को ध्वस्त किया। कुरुक्षेत्र को मुगलों के भी अनेक आक्रमण सहने पड़े और इसका पतन ही होता चला गया। उन्नीसवीं शताब्दी तक आते–आते कुरुक्षेत्र खण्डरों का उजड़ा हुआ एक गांव बन कर रह गया। सर्वत्र

निर्धनता छाई हुई थी। यातायात के भी उचित साधन उपलब्ध न होने के कारण यात्रियों को बड़े खतरे और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

सत्तर के दशक में केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र के उद्धार के लिए प्रयास प्रारंभ किए। अब यहां श्रीकृष्ण संग्रहालय, पैनोरमा विज्ञान केन्द्र, कल्पना चावला तारामण्डल, हरियाणा की लोक संस्कृति को दर्शाने वाला धरोहर संग्रहालय ऐसे स्थल बन गए, जहां वर्ष में कई लाख दर्शक, पर्यटक तथा यात्री इनसे ज्ञान का लाभ उठाने आते हैं। अब सभी तीर्थों के विकास की दृष्टि से भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने इसको श्रीकृष्ण सर्किट में सम्मिलित किया है और अंतरराष्ट्रीय गीता अनुसंधान केन्द्र की भी स्थापना की है जिस पर करोड़ों रूपया खर्च किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र को ऐतिहासिक पर्यटन स्थल बनाए रखने में हरियाणा सरकार द्वारा भी अनेक प्रयास किए गए है। यात्रियों के रहने के लिए कई धर्मशालाएं बनाई गई है। पर्यटन स्थलों पर आने–जाने के लिए उचित साधनों का प्रबंध किया गया हरियाणा सरकार द्वारा समय–समय पर यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष दिसंबर माह में गीता महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है जिसमें लगभग सभी राज्यों से लोग यहां पर आते है। कुरुक्षेत्र अपने पुराने गौरव तथा अपनी खोयी हुई कीर्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए विश्व पटल पर उभर कर आ रहा है। शीघ्र ही यह विश्व का एक प्रमुख पर्यटक स्थल बन जाएगा, जहां से पुनः वेदों की ऋचाएं तथा गीता का दिव्य संदेश गूंजेगा।

प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग

डॉ. नीरू पाठक

ज़रा सोचिए ?

बात सन् 2005 की है। मेरा तबादला तिलक नगर शाखा में हो गया था। तिलक नगर शाखा मतलब ऐसे ग्राहक जो 100–200 रुपए जमा कराएंगे और निकालेंगे भी। सारा दिन वहाँ ग्राहकों की रेल–पेल लगी ही रहती। ऐसे में मुझे सेविंग की सीट मिली थी जहाँ ज्यादातर ग्राहक ऐसे ही आते थे जो अपने फॉर्म भी खुद नहीं भर सकते थे। एक दिन सुबह का ही समय था, शाखा ग्राहकों से खचाखच भरी थी। तभी एक आवाज आई मैडमजी मेरा पैसे जमा करने का फार्म भर दो। कितने पैसे हैं। 209 रूपए, यह कैसा, भैया पूरे पैसे लाया करो, 200 या 210। मैंने उसके चिल्लर लेकर, दस का नोट दिया और 210 रूपए जमा का फॉर्म भर दिया। हर एक–दो हफ्ते में ऐसा ही होता। कभी 217, 208, कभी 167 रूपए, ये उसकी उस बीच में कमाया गया पैसा होता जिन्हें वो महीने के अंत में निकालकर अपने गाँव मनीऑर्डर करता था। एक–दो रूपए से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता बल्कि उसके खुले पैसों से मेरा बस का किराया हो जाता और कैशियर को भी पैसे जमा करने में मुश्किल नहीं होती थी। मुझे मेरे सहकर्मी टोकते धीरे–धीरे, उसने अपने बारे में बताया, उसका नाम हरीशचंद्र था। वह मोची का काम करता थ। बड़ी मुश्किल से गुजर–बसर होती, पर फिर भी जो बचत होती वो अपने माता–पिता को भेजता। उसकी पत्नी भी घरों में खाना बनाती थी। दोनों के चेहरे पर सदैव संतोष रहता। मुझे भी पता नहीं क्यूं एक अपनापन सा महसूस होता। शाखा में उसके आते ही साथी स्टाफ कहते, नीरू तुम्हारे ग्राहक आ गए। तुम ही करो इसका काम। कुछ व्यंग में, कुछ हंसी में और कुछ शरारत से। ऐसी बातों से मुझे कुछ फर्क नहीं पडता था।

दिन यूंही बीत रहे थे। उम्र बढ़ रही थी। बचपन में लगी पैर की चोट में कभी बहुत दर्द होने लगता जिससे पैर सूज जाता था। मुझे चलने में भी बहुत दिक्कत होने लगती। कोई चप्पल पैर में नहीं आती। शाखा में ज्यादातर मैं सिर्फ जुराब पहनकर ही घूमती। एक दिन सुबह शाखा खुलते ही हरीशचंद्र अपनी पत्नी के साथ आया और आते ही कहने लगा मैडम जरा सीट से बाहर आइए।

मैंने कहा देखो मुझे चलने में परेशानी होती है। वो हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ा रहा, मैडम प्लीज, उसकी पत्नी भी बोली। मैं सीट से उठकर बाहर आयी, उसकी पत्नी ने एक चप्पल की जोड़ी मेरे सामने रख दी, मैंने कहा ये कैसे बनायी, बिल्कुल मेरे नाप की और इतनी आरामदायक। मैडम आपको ऐसे चलता देखकर मैंने खुद बनायी है आपके लिए। उसका स्नेह देखकर मेरी आंखे भर आयीं। मैंने कहा पर इसके पैसे दिए बिना मैं इसे नहीं पहनूंगी। मेरे ऐसा कहते ही वो विनम्रता से बोला आपको आपके भाई की ओर से। आप जो मेरे पैसों में पैसे मिलाकर हमेशा जमा करवाती हैं।

शाखा का सारा स्टाफ जैसे अवाक था। बात केवल एक जोड़ी चप्पल की नहीं थी। साथ में उनका अमूल्य स्नेह, आत्मीयता और कृतज्ञता भी थी। बैंक में ग्राहक का काम करना तो हमारी डयूटी है लेकिन इसके बदले में आप क्या–क्या प्राप्त कर सकते हैं ज़रा सोचिए?

प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग

बैंक के विभिन्न अंचल कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2021

अंचल कार्यालय जयपुर

अंचल कार्यालय कोलकाता

अंचल कार्यालय फरीदकोट

अंचल कार्यालय बंठिडा

अंचल कार्यालय बरेली द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन

सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2021 के उपलक्ष्य में पंजाब एण्ड सिंध बैंक आंचलिक कार्यालय बरेली और आईएमए (इंडियन मेडिकल एसोसिएशन) बरेली के आपसी सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन आंचलिक प्रबंधक श्री विजय कुमार निरंजन के मार्गदर्शन में किया गया। इस आयोजन में पंजाब एण्ड सिंध बैंक की शाखाओं एवं आंचलिक कार्यालय में कार्यरत स्टाफ सदस्यों द्वारा रक्तदान किया गया।

समस्त भय और चिंता, इच्छाओं का परिणाम हैं – स्वामी रामतीर्थ

सतर्कता जागरूकता सप्ताह –2021

प्रधान कार्यालय में 26 अक्तूबर, 2021 को बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री अम्बरीष कुमार मिश्रा तथा कार्यकारी निदेशक डॉ. रामजस यादव द्वारा अन्य उच्चाधिकारियों को सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा दिलाकर सतर्कता जागरूकता सप्ताह –2021 का शुभारंभ किया गया। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह 26 अक्तूबर से 1 नवंबर, 2021 तक "**स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता**" विषय के साथ मनाया गया। साथ ही "लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण" के अंतर्गत शिकायतों के बारे में जागरूकता का प्रचार करने के लिए बैंक में पोस्टर प्रदर्शित किए गए।

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

जहाँ सेवा ही जीवन-ध्येय है

आज़ादी का अमृत महोत्सव

Azadi Ka Amrit Mahotsav

लोहड़ी, मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल की
हार्दिक शुभकामनाएं

गोल्ड लोन

@7.00%*

हमारे आकर्षक ऑफर

PSB UniC
You & I Connected

नये मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफार्म का आनंद ले

होम लोन
@6.50%*

ईएमआई प्रति लाख ₹632/-

- शून्य प्रोसेसिंग शुल्क
- लॉकर किराए में 50% की छूट

वाहन लोन
@6.80%*

ईएमआई प्रति लाख ₹1500/-

- शून्य प्रोसेसिंग शुल्क
- ऑन रोड 100% फाइनेंस

खाद्य एवं कृषि
प्रसंस्करण इकाइयां (एमएसएमई)

50% की छूट
प्रोसेसिंग शुल्क में
एमएसएमई/फूड प्रोसेसिंग/
राइस शैलर्स के लिए

*शर्तें लागू

अधिक जानकारी के लिए हमारी निकटतम शाखा से संपर्क करें, या
हमारी वेबसाइट **https://punjabandsindbank.co.in** देखें

1800 419 8300 (टोल फ्री) | ईमेल : dgm.ce@psb.co.in

हमें फॉलो करे @PSBIndOfficial